

प्रतिभूति बाजार जागरुकता अभियान

के तत्त्वावधान में हो रही

कार्यशाला

के लिए पठन सामग्री

शिक्षण के माध्यम से निवेशक जागरुकता

विषय वस्तु

पृष्ठ सं.

प्रस्तावना

- अध्याय 1. परिचय
- अध्याय 2. आर्थिक योजना
- अध्याय 3. प्रतिभूति बाजार में निवेश के विकल्प
- अध्याय 4. प्रतिभूतियों में लेनदेन कैसे करें?
- अध्याय 5. निवेशक शिकायत समाधान

प्रस्तावना

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) का उद्देश्य है प्रतिभूतियों में निवेश करनेवाले निवेशकों के हितों का संरक्षण करना और प्रतिभूति बाजार के विकास का उन्नयन एवं इसका विनियमन करना। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सेबी वर्षों से विभिन्न बाजार सहभागियों, निवेशक संघों, और सरकार के साथ निकट समन्वयन रखते हुए कार्य कर रहा है ताकि एक ऐसा बाजार उपलब्ध हो सके जो आधुनिक हो, दक्ष हो और निवेशक-हितकर हो और जो अंतरराष्ट्रीय स्तर की सर्वोत्तम पद्धतियों के अनुरूप हों।

सेबी का यह अटूट विश्वास है कि निवेशक प्रतिभूति बाजार का मूल आधार हैं। हमें उनके हित का पूरी तरह ध्यान रखना चाहिए ताकि प्रतिभूति बाजार के प्रति उनका रुझान बरकरार रहे। कई निवेशकों के पास सोच समझकर निवेश निर्णय लेने की निपुणता / जानकारी नहीं होती है। उनमें से कुछ को विभिन्न निवेश विकल्पों के जोखिम-प्रतिफल की पूरी जानकारी नहीं होती। कुछ निवेशक बाजार मध्यवर्तियों (इंटरमीडियरी) से लेनदेन करते समय और विभिन्न प्रतिभूतियों में लेनदेन करते समय बरती जानेवाली एहतियात से वाकिफ नहीं होते। वे बाजार प्रणाली और पद्धतियों से और अपने अधिकारों तथा दायित्वों से अनभिज्ञ हो सकते हैं। इसलिए, प्रतिभूति बाजार में उनकी रुचि फिर से जगाने और इसे बरकरार रखने की कुँजी है उन्हें शिक्षित करना और जागरुक बनाना।

देश भर के निवेशकों में जागरुकता लाने के लिए सेबी ने राष्ट्रव्यापी निवेशक जागरुकता कार्यक्रम आरंभ किया है। इस कार्यक्रम के तहत भाप्रविबो ने कई प्रकार की सामग्रियाँ तैयार की हैं, जिनमें यह पुस्तिका भी शामिल है, जो कि निवेशकों के लिए हितकर होगी। इस पुस्तिका में निवेशकों के ऐसे कई सवालों के जवाब मौजूद हैं जो प्रतिभूति बाजार में निवेश करने से संबंधित हैं। मुझे यकीन है कि यह पुस्तिका किसी भी निवेशक के लिए बेहद उपयोगी सिद्ध होगी।

ज्ञानेन्द्रनाथ बाजपेयी

अध्यक्ष

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

अध्याय 1. परिचय

प्रतिभूतियों में निवेश करनेवाले एक निवेशक की हैसियत से आप प्रतिभूति बाजार का सबसे अहम हिस्सा हैं। आपके हित का संरक्षण सर्वोपरि है। हमारा मानना है कि जब तक आप निवेश संबंधी निर्णय लेते समय कुछ सावधानियाँ नहीं बरतेंगे तब तक हमारे प्रयास पूरी तरह सफल नहीं हो पायेंगे। यह पुस्तिका आपको उन सावधानियों से परिचित करायेगी, जिन्हें आपको बाजार मध्यवर्तियों के साथ लेनदेन करते समय और भिन्न-भिन्न प्रतिभूतियों में लेनदेन करते समय बरतना है। इस पुस्तिका में कुछ ऐसे सवालों का जवाब देने की भी कोशिश की जायेगी, जो प्रतिभूति में निवेश करते समय आपके मन में उठते हैं।

मैं निवेश क्यों करूँ?

यदि आप अपने अप्रयुक्त संसाधनों पर मुनाफा कमाना चाहते हैं, जिंदगी के किसी खास मकसद को पूरा करने के लिए कुछ रकम जुटाना चाहते हैं, या अनिश्चित भविष्य के लिए व्यवस्था करना चाहते हैं तो आपको निवेश करने के बारे में विचार करना चाहिए। हालाँकि, आपको सोच समझकर और सावधानी के साथ ही निवेश करना चाहिए ताकि आप इन उद्देश्यों में से किसी को भी पूरा करने में समर्थ हो सकें।

मेरे निवेश विकल्प क्या हैं?

आपके पास बहुत-से विकल्प हैं। आप प्रतिभूतियों जैसी वित्तीय आस्तियों में निवेश कर सकते हैं, जिनमें पारस्परिक निधियों की यूनितें भी शामिल हैं। आपकी पसंद आपके द्वारा निवेश की जानेवाली राशि, आपके निवेश की अवधि, जोखिम उठाने की आपकी क्षमता, नकदी संबंधी आपकी आवश्यकता, निवेश संबंधी आपका उद्देश्य, और अत्यावश्यकताओं के समय आपके संरक्षण के लिए मौजूद व्यवस्था पर निर्भर करती है।

निवेश संबंधी मेरे उद्देश्य क्या हों?

सामान्यतः आपके तीन उद्देश्य होंगे -- सुरक्षा, प्रतिफल और अर्थसुलभता। आप चाहते हैं कि आपका निवेश पूरीतरह सुरक्षित हो, लेकिन इससे आकर्षक प्रतिफल प्राप्त हो और यह अत्यधिक अर्थसुलभ भी हो। तीनों उद्देश्यों को एक साथ प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। आम तौर पर एक उद्देश्य के लिए दूसरे से समझौता करना पड़ता है। उदाहरणार्थ, यदि आप अधिक मुनाफा कमाना चाहते हैं, तो आपको कुछ जोखिम उठाना होगा, या यदि आप अत्यधिक अर्थसुलभता चाहते हैं, तो आपको मुनाफे से समझौता करना होगा। यदि आपकी आय नियमित है, तो आप वृद्धि उन्मुख (ग्रोथ-ओरिएन्टेड) निवेश को वरीयता दे सकते हैं। इसलिए उद्देश्य आप पर निर्भर करता है।

में निवेश करते समय क्या सावधानियाँ बरतूँ?

कोई भी निवेश करने से पहले, आपको यह अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए कि आपने:

- (क) निवेश के बारे में विस्तृत जानकारी देने वाले लिखित दस्तावेज प्राप्त किये हैं,
- (ख) ऐसे दस्तावेज पढ़े हैं और समझे हैं,
- (ग) निवेश की यथार्थता का सत्यापन किया है,
- (घ) निवेश से जुड़े खर्चों और फायदों को जान लिया है,
- (ङ) निवेश संबंधी जोखिम-प्रतिफल का मूल्यांकन किया है,
- (च) निवेश की अर्थसुलभता और सुरक्षा संबंधी पहलुओं के बारे में जान लिया है,
- (छ) तय कर लिया है कि यह आपके खास मकसदों के मुताबिक है,
- (ज) इन ब्यौरों की तुलना निवेश हेतु उपलब्ध अन्य अवसरों से की है,
- (झ) जाँच की है कि यह आपके द्वारा विचाराधीन या पहले ही किये जा चुके निवेशों के अनुरूप है,
- (ञ) अपेक्षानुसार केवल सेबी में रजिस्ट्रीकृत मध्यवर्ती के माध्यम से ही लेनदेन किया है,
- (ट) मध्यवर्ती और निवेश के बारे में समस्त स्पष्टीकरण माँगे हैं,
- (ठ) कुछ गलत हो जाने की दशा में अपने लिए उपलब्ध विकल्पों को टटोला है, और फिर संतुष्ट हो जाने पर ही निवेश किया है।

इन्हें हम 'निवेश के बारह चरण' कहते हैं। यदि आप ये सावधानियाँ नहीं बरत सकते हैं, तो आप पारस्परिक निधि जैसी किसी विश्वसनीय और सक्षम संस्था को अपनी ओर से निवेश करने की जिम्मेदारी सौंप दें। तब भी आपको सही संस्था का चुनाव करने में सावधानी बरतनी होगी जो आपकी आवश्यकताओं को समझे और आपके हित में कार्य करे।

अध्याय 2. आर्थिक योजना

वित्त संबंधी उद्देश्यों का विशिष्ट वर्णन:

निवेश कुछ आर्थिक (वित्त संबंधी) उद्देश्यों से किये जाते हैं। इन उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए और नकद रूप में इनका आकलन संभव होना चाहिए। उदाहरण के लिए, यह कहना पर्याप्त नहीं है कि, "मैं अपनी सेवानिवृत्त जिंदगी आराम से बिताना चाहता हूँ।" इस उद्देश्य को इस प्रकार कहें कि ' मैं चाहता हूँ कि सेवानिवृत्ति के बाद मेरी सालाना व्यय करने की क्षमता 2,00,000 रुपये (जो कि मँहगाई के दौर को देखते हुए आँकी गयी है) हो। "

एक निवेशक आज बचाता है, ताकि आनेवाले कल की आर्थिक जरूरतों को पूरा कर सके। जब तक निवेशक बचत के प्रयोजन को पूरी तरह से न समझ ले, तब तक उसे उसकी बचत से मनचाहे फायदे नहीं मिलेंगे। इसलिए एक निवेशक को चाहिए कि वह सबसे पहले अपनी आर्थिक जरूरतों को समझे। उदाहरणार्थ, निवेशक की आर्थिक जरूरतें निम्नलिखित में से कोई एक या अनेक हो सकती हैं:

1. 55 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति के समय 3,00,000 रुपये की सालाना आय हो। इस समय मेरी आयु 35 वर्ष है।
2. 20 वर्ष बाद जब मैं सेवानिवृत्त हो जाऊँ तब तक मेरा आवास ऋण पूरी तरह अदा हो जाए।
3. मेरी पाँच वर्षीय बेटी की कॉलेज की पढ़ाई का खर्च अदा कर पाना, जिसका खर्च 4 वर्षों के लिए प्रति वर्ष 1,50,000 रुपये तक होगा।

निवेशक के लिए सबसे पहला कदम यही होना चाहिए कि वह अपनी आर्थिक जरूरतों को स्पष्ट तौर पर लिख ले। आर्थिक जरूरतों को इस प्रकार लिखें कि कितनी रकम चाहिए और भविष्य में कब इसकी जरूरत होगी। उपर्युक्त तीनों उदाहरणों में हमें निम्नानुसार लिखेंगे:

उदाहरण संख्या	कितनी रकम चाहिए	कब जरूरत होगी
1	रु. 3,00,000 प्रति वर्ष	अब से बीसवें वर्ष से लेकर प्रत्येक वर्ष और संभवतः चालीसवें वर्ष तक
2	रु. 5000 प्रति माह	अगले 20 वर्षों के लिए
3	रु. 1,50,000 प्रति वर्ष	अब से बारहवें वर्ष से लेकर अब से सोलहवें वर्ष तक।

प्रत्येक निवेशक को समय निकालना चाहिए और आर्थिक उद्देश्यों का ऐसा ब्यौरा तैयार करना चाहिए जिसमें अधिक से अधिक अपेक्षाएँ शामिल हो सकें। इस आधार पर आर्थिक योजना तैयार की जायेगी। यदि वित्तीय क्षमता इन सभी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नाकाफी है तो इन उद्देश्यों को वरीयता के अनुसार रखना होगा।

निवेशक की आर्थिक जरूरतें उसकी आयु, कैरियर में उसके मुकाम, उसके परिवार के सदस्यों की संख्या, परिवार के अन्य सदस्यों की जरूरतें इत्यादि पर निर्भर करती हैं। कुछ जरूरतें स्पष्ट हो सकती हैं जबकि अन्य जरूरतों का महज अंदाज़ लगाया जा सकता है। ऐसी अप्रत्याशित जरूरतें हो सकती हैं जिनके लिए व्यवस्था करनी पड़ती है। कभी कभी निवेशक की बदलती परिस्थितियाँ उसकी आर्थिक जरूरतें को भी बदल देती हैं।

आर्थिक योजना तैयार करने के लिए आयु, राशि और समय सीमा के हिसाब से इन उद्देश्यों को साफ साफ लिखा जाना चाहिए। आर्थिक योजना की प्रक्रिया महज एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आज उपलब्ध धन को कल की जरूरतों के लिए आवंटित किया जाता है। यह आर्थिक योजना स्थिर नहीं है। बदलती परिस्थितियों के मुताबिक इसे समय समय पर बदलना होगा।

आर्थिक क्षमता का निर्धारण

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, निवेशक आर्थिक योजना में निर्धारित आर्थिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आज का कुछ धन अलग रख देता है। अब कितना धन अलग रखा जा सकता है यह आज की परिस्थितियों पर निर्भर होता है। इसे समझने के लिए प्रत्येक निवेशक की आय, आस्तियों (एसेट्स्) और देयताओं को समझना होगा। तुलन पत्र में निवेशक की आस्तियों और देयताओं का ब्यौरा होता है। यही होता है कि जब आस्तियाँ देयताओं से अधिक हो जाती हैं तो यह अंतर शुद्ध मालियत कहलाता है। सभी आस्तियों और देयताओं का मूल्यांकन किसी लागत आधार पर करने के बजाय वर्तमान बाजार मूल्य पर किया जाना चाहिए। उदाहरणार्थ, यदि आपके पास 1000 रुपये में खरीदे गये इक्विटी शेयर हैं और उनका मूल्य अब 5000 रुपये है तो आपके तुलन पत्र में 5000 रुपये की राशि दर्शायी जानी चाहिए। फिर भी लागत महत्वपूर्ण है अगर आप शेयर बेचें और पूँजीगत अभिलाभ पर कर अदा करें।

31 मार्च 2003 को श्री 'क' का तुलनपत्र			
आस्तियाँ		देयताएँ	
नकद राशि	80,000	बकाया आवास ऋण	6,00,000
निवेश	4,00,000	बकाया कार ऋण	1,00,000
मकान	8,00,000	शुद्ध मालियत	11,80,000
कार	2,00,000		
जीवन बीमा अभ्यर्ण मूल्य	4,00,000		

कुल	18,80,000	कुल	18,80,000
-----	-----------	-----	-----------

निवेशक को अपने पास उपलब्ध साधनों के अनुसार ही जीना चाहिए। यहाँ साधन का अर्थ है आमदनी। इस आमदनी में से रोजमर्रा की जरूरतें पूरी की जाती हैं। शेष राशि बचत के लिए उपलब्ध होती है। निवेशक को आय और व्यय का विवरण तैयार करना चाहिए। इसे “नकदी प्रवाह विवरण” कहा जाता है। आय के स्रोत होते हैं - वेतन, लाभांश, ब्याज, स्व-रोजगार से होनेवाली आमदनी इत्यादि ।

आमदनी जानने के बाद, निवेशक को व्यय का निर्धारण करना चाहिए। आम तौर पर व्यय इस प्रकार के हो सकते हैं - जीविका संबंधी व्यय, भुगतान (जिनकी अदायगी पहले से ही तय हो) और कर।

प्रत्येक वर्ष व्यय की अपेक्षा अधिक होनेवाली आमदनी बचत के लिए उपलब्ध होती है। निवेशक अपनी वेतन क्षमता के अनुरूप अपने आर्थिक उद्देश्य प्राप्त करने की कोशिश करता है। नकदी प्रवाह विवरण को भिन्न भिन्न परिस्थितियों के अनुरूप तैयार किया जाता है। ये हैं मृत्यु, अपंगता और सेवानिवृत्ति।

1.4.2002 से 31.3.2003 तक की अवधि के लिए श्री 'क' का नकदी प्रवाह विवरण					
		प्रत्याशित	वैकल्पिक परिस्थितियाँ		
			अपंगता	मृत्यु	सेवानिवृत्ति
आय	कारोबारी आय	4,00,000	0	0	0
	शुद्ध / वेतन				
	प्राप्त लाभांश, ब्याज	1,00,000	1,00,000	1,00,000	1,00,000
	अन्य	0	0	0	0
	कुल	5,00,000	1,00,000	1,00,000	1,00,000
व्यय	परिवार जीविका- व्यय	2,00,000	2,50,000	1,50,000	2,00,000
	बीमा प्रीमियम	20,000	20,000	20,000	20,000
	ऋण की किस्तें	35,000	35,000	35,000	35,000
	पेंशन अंशदान	30,000	30,000	0	0
	कर	1,50,000	30,000	30,000	30,000
	कुल	4,35,000	3,65,000	2,35,000	2,85,000
आधिक्य (घाटा)		65,000	(2,65,000)	(1,35,000)	(1,85,000)

आर्थिक योजना क्या है?

तुलनपत्र यही दर्शाया जाता है कि निवेशक के पास क्या है और क्या उसे चुकाना है। नकदी प्रवाह विवरण में निवेश करने के लिए उपलब्ध धनराशि दर्शायी जाती है। ये दोनों विवरण मिलकर निवेशक की आर्थिक परिस्थितियों और बचत की क्षमता को दर्शाते हैं। आर्थिक योजना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से निवेशक की बचत क्षमता के अनुरूप निवेशक की आर्थिक जरूरतों को यथासंभव पूरा करने का प्रयास किया जाता है। निर्धारित उद्देश्यों को पूरा करने के मद्देनजर अर्थव्यवस्था में उपलब्ध निवेश के अनेक विकल्पों के तहत बचतें की जाती हैं।

अध्याय 3. प्रतिभूति बाजार में निवेश के विकल्प

निवेश हेतु उपलब्ध सभी विकल्पों में, प्रतिभूतियों को अधिक चुनौतीपूर्ण और प्रतिफलदायक माना जाता है। परंतु प्रतिभूतियों में निवेश करने के लिए जरूरी है - कुशलता और निपुणता तथा यदि प्रतिभूतियों का विकल्प सही नहीं हो या उन्हें सही समय पर खरीदा / बेचा न जाए तो नुकसान का जोखिम हो सकता है।

ऐसी कई प्रकार की लिखते हैं जिन्हें आम बोलचाल में प्रतिभूतियाँ कहा जाता है। भाप्रविबो (सेबी) की स्थापना 'प्रतिभूतियों' में निवेश करनेवाले निवेशकों के हितों के संरक्षण के प्रमुख उद्देश्य से की गयी है, जिसे प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 में परिभाषित किया गया है, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं:

- i. शेयर, स्क्रिप, स्टॉक, बॉण्ड, डिबेंचर स्टॉक या किसी निगमित (इनकार्पोरेटेड) कंपनी अथवा निगमित निकाय में या की वैसी ही अन्य विपणनयोग्य (मार्केटेबल) प्रतिभूतियाँ;
- ii. व्युत्पन्नी (डेरिवेटिव);
- iii. किसी सामूहिक निवेश स्कीम द्वारा ऐसी स्कीमों में निवेशक को निर्गमित (इश्यूड) यूनितें या अन्य कोई लिखत (इंस्ट्रुमेण्ट);
- iv. प्रतिभूति रसीदें;
- v. सरकारी प्रतिभूतियाँ;
- vi. ऐसी अन्य लिखतें जो केंद्र सरकार द्वारा प्रतिभूतियों के तौर पर घोषित की जाएँ;
- vii. प्रतिभूतियों में अधिकार या हित।

भिन्न-भिन्न प्रतिभूतियों में भिन्न-भिन्न जोखिम-प्रतिफल होते हैं। आम तौर पर अधिक जोखिमों में अधिक प्रतिफल होते हैं और इसका उलट भी होता है। ये जोखिम ऋण-संबंधी जोखिम (क्रेडिट रिस्क) (दूसरी पार्टी भुगतान में चूक कर सकती है, यदि वह निष्ठावान न हो), प्रतिफल-संबंधी जोखिम (निवेश से मिलनेवाला प्रतिफल कई संबद्ध कारकों पर निर्भर हो सकता है) और अर्थसुलभता-संबंधी जोखिम (प्रतिभूति को नकद में बदलना मुश्किल हो सकता है) के रूप में भी हो सकते हैं।

निवेशक की जोखिम-क्षमता :

अध्याय 1 में, हमने बताया कि आर्थिक योजना एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा यह तय किया जाता है कि कथित आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बचत को कहाँ कहाँ लगाया जाए। हमेशा यह संभव नहीं होता कि उपलब्ध बचत से समस्त आर्थिक उद्देश्य पूरे हो सकें। यदि बचत कम है और जरूरतें ज्यादा तो बचत का निवेश ऐसी जगहों पर करना चाहिए जहाँ अधिक मुनाफा मिल सके। परंतु आम तौर पर अधिक प्रतिफल का अर्थ है अधिक जोखिम भी। सभी निवेशकों के लिए यह संभव नहीं होता कि वे अधिक जोखिम उठा सकें।

जैसी ऊपर चर्चा की गयी है, निवेश के ऐसे अवसर भी होते हैं जिनमें जोखिम ज्यादा होता है और ऐसे भी जिनमें जोखिम कम होता है। ऐसे प्रत्येक अवसर को आस्ति वर्ग (एसेट् क्लास) में रखा जाता है। प्रत्येक निवेशक अपनी परिस्थितियों के अनुसार अपनी बचत को एक या अधिक आस्ति वर्ग में लगाता है। इसप्रकार लिये गये निर्णय को आस्ति आबंटन (एसेट् एलोकेशन) निर्णय कहा जाता है। निवेश की प्रक्रिया में आस्ति आबंटन के संबंध में लिया गया निर्णय सबसे अहम हो सकता है। आस्ति आबंटन का महत्त्व यही है कि समय के साथ साथ पोर्टफोलियो से होनेवाले मुनाफे (90%) का अंदाज़ लगाया जा सके।

एक निवेशक कितना जोखिम उठा सकता है यह उसकी आर्थिक परिस्थितियों और उसकी सोच पर निर्भर करता है। प्रत्येक निवेशक को पहले अपनी जोखिम-क्षमता को समझ लेना चाहिए और फिर उसे निवेश संबंधी निर्णय लेने चाहिए।

- आप कैसे निवेशक हैं?
- क्या आप अधिक जोखिम उठाने को तैयार हैं?
- क्या जोखिम उठाने के अनिच्छुक हैं?

ऐसे वैज्ञानिक तरीके हैं जिनसे आप अपनी जोखिम-क्षमता को समझ सकते हैं। उदाहरणार्थ, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने से आपको अपनी जोखिम-क्षमता का अंदाज़ा हो सकता है:

आपकी आयु -

- 25-35 के बीच है
- 35-50 के बीच है
- 50-65 के बीच है
- 65 से अधिक है

आपकी स्थिति ऐसी है कि

- आप आत्मनिर्भर हैं और आप पर कोई आश्रित नहीं है
- आप पर कोई आश्रित है/हैं
- आप सेवानिवृत्त होनेवाले हैं
- सेवानिवृत्त हैं

नीचे दी गयी कितनी जरूरतों को ध्यान में रखा गया है (पूर्णतः, अंशतः, बिलकुल नहीं)

- बीमा
- सेवानिवृत्ति
- बच्चों की शिक्षा

- आवास

आपके वर्तमान व्यय का कितना हिस्सा निवेश के जरिये पूरा होता है?

- कुछ भी नहीं
- 15% तक
- 15 और 30% के बीच
- 30 और 50% के बीच
- 50% से अधिक

भविष्य में आपकी आमदनी

- मँहगाई से कहीं ज्यादा होगी
- मँहगाई से थोड़ी ज्यादा होगी
- मँहगाई के बराबर होगी
- मँहगाई से कम होगी

आपके द्वारा खरीदे गये शेयर के भाव में तेजी से गिरावट आ जाने पर आप

- अपने निवेश को बेच देंगे
- अपने निवेश का कुछ हिस्सा बेच देंगे
- कुछ नहीं करेंगे
- उसी निवेश में और पैसा लगायेंगे

जोखिम-क्षमता के आधार पर मूलतः तीन आस्ति वर्ग हैं। वे हैं इक्विटी, ऋण (डेट) और नकद। इक्विटी जोखिमपूर्ण है, ऋण में जोखिम कम है, तो वहीं नकद में जोखिम और भी कम है। प्रत्येक आस्ति वर्ग के भीतर भी निवेशक को निवेश के लिए लिखतों का चुनाव करना होता है।

निवेशक निवेश कहाँ करे, यह तो आर्थिक परिस्थितियों और निवेशक पर निर्भर करता है। वित्तीय लिखतों में अर्थसुलभता, सुरक्षा तथा प्रस्तावित प्रतिफल भिन्न-भिन्न होते हैं। निवेश संबंधी निर्णय लेते समय परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए लिखतों का सही चुनाव करना एक चुनौती है।

प्रत्येक निवेश विकल्प के कुछ लाभ और कुछ सीमाएँ होती हैं। उदाहरणार्थ, जहाँ एक ओर बैंक बचत खाते अधिक अर्थसुलभ होते हैं (आप जब चाहें अपना पैसा निकाल सकते हैं), तो वहीं दूसरी ओर सार्वजनिक भविष्य निधि में किये गये निवेश में से पैसा निकालना मुश्किल होता है।

आम तौर पर जोखिम निश्चय ही प्रतिफलों की संभावनाओं से परस्पर संबंधित होते हैं। उदाहरणार्थ, इक्विटी शेयरों में प्रतिफल अधिक हो सकते हैं, किंतु इससे जुड़े जोखिम भी अन्य विकल्पों की अपेक्षा अधिक होते हैं। इन जोखिमों को अपरिहार्य (सिस्टमेटिक) जोखिम और परिहार्य (अनसिस्टमेटिक) जोखिम के तौर पर वर्गीकृत किया जा सकता है।

परिहार्य जोखिम ऐसे जोखिम होते हैं जिन्हें अलग-अलग जगह निवेश करके कम किया जा सकता है। उदाहरणार्थ, केवल स्टील कंपनियों के शेयरों में निवेश करने के बजाय, एक व्यक्ति अन्य क्षेत्रों जैसे फार्मास्युटिकल और सॉफ्टवेयर क्षेत्रों में निवेश कर सकता है। ऐसी स्थिति में, आपको तब बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुँचेगा, फिर भले ही स्टील क्षेत्र सामान्य कार्यनिष्पादन क्यों न दर्शा रहा हो। अपरिहार्य जोखिम ऐसे जोखिम होते हैं जिन्हें अलग-अलग जगह निवेश करके कम नहीं किया जा सकता। उदाहरण के तौर पर, कोरिया का कोई निवेशक दक्षिण-पूर्वी एशिया में मुद्रा संकट के कारण हुई हानि को, संभवतः अलग अलग जगह निवेश करके, कम या समाप्त नहीं कर सकता है।

निवेशक का व्यक्तित्व भी महत्वपूर्ण है। कुछ निवेशकों के पास अपने निवेश -संविभागों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के लिए समय और ज्ञान होता है - इन्हें 'सक्रिय' निवेशक कहा जा सकता है। अन्य निवेशक समय या ज्ञान या रुचि की कमी के कारण अपने निवेशों पर नियमित रूप से नजर रखना नहीं चाहते और वे अपने धन के निवेश के लिए केवल सुरक्षित मार्ग ही तलाशते हैं।

निवेश-विकल्प :

निम्नलिखित पैराग्राफों में विभिन्न उपलब्ध विकल्प दर्शाये गये हैं और मोटे तौर पर उनका निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर मूल्यांकन किया गया है जैसे

- अर्थसुलभता
- सुरक्षा
- प्रतिफल
- कर बचत
- निवेश के सिलसिले में सक्रिय रहने की अपेक्षा
- निवेश की जा सकनेवाली न्यूनतम राशि

इस अध्याय के अंत में विकल्पों की एक संक्षिप्त सारणी दी गयी है।

इक्विटी शेयर - प्राथमिक बाजार

प्राथमिक बाजार नयी कंपनियों और मौजूदा कंपनियों द्वारा शेयरों के नये निर्गमों (इश्यू) से संबंधित है। शेयरों के अलावा, आम तौर पर प्राथमिक बाजार में निर्गमित अन्य लिखतें होती हैं - डिबेंचर, संपरिवर्तनीय (कन्वर्टिबल) डिबेंचर, वॉरण्ट जैसे विकल्पोंवाले शेयर इत्यादि।

इक्विटी शेयर - द्वितीयक बाजार

द्वितीयक बाजार ऐसे स्टॉक एक्सचेंजों से संबंधित होते हैं जहाँ निवेशक स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध शेयर खरीद (या बेच) सकते हैं। भारतीय स्टॉक बाजार में इक्विटी शेयरों का बोलबाला रहा है। गत समय में हुए महत्त्वपूर्ण परिवर्तनों, विशेषकर कंप्यूटरीकरण, ऑन लाइन व्यापार, अभौतिकीकरण (डिमैट) और निक्षेपागार सहभागिता (डिपॉजिटरी पार्टिसिपेशन) के परिणामस्वरूप अब निवेशक और अधिक पारदर्शी तथा दक्ष द्वितीयक बाजार में लेनदेन कर रहे हैं।

इक्विटी शेयरों में दो तरीकों से मुनाफे कमाये जाते हैं: एक, कंपनियों द्वारा आम तौर पर वर्ष के अंत में (और कभी-कभी वर्ष के दौरान) घोषित किये जानेवाले लाभांश तथा, दूसरा, इक्विटी शेयरों की बिक्री पर पूँजीगत अभिलाभ।

इक्विटी शेयरों में निवेश की अर्थसुलभता इस बात पर निर्भर करती है कि शेयर में कितनी बार व्यापार हुआ। यदि शेयर में सक्रिय व्यापार होता है तो निवेशक आसानी से शेयर बेच सकते हैं और बिक्री के जरिये कमा सकते हैं। तथापि, यदि शेयर में व्यापार नहीं होता (या असूचीबद्ध है), तो अर्थसुलभता बाधक हो जाती है। तकनीकी तौर पर, अभौतिक (डिमैट) प्रतिभूतियों में एक शेयर भी खरीदा जा सकता है और 50 से 100 तक के छोटे लॉट भी खरीदे जा सकते हैं ताकि निवेश राशि कम रखी जा सके।

इक्विटी शेयर मुख्यतः ऐसी लिखतें (इंस्ट्रुमेंट्स) हैं, जिनमें उतार-चढ़ाव होते रहते हैं। इक्विटी शेयर उस निवेशक के लिए निवेश करने का एक सही जरिया है जो जोखिम उठाने से न हिचकता हो। ऐसा निवेशक अधिक मुनाफा कमाने के लिए जोखिम उठाने को तैयार रहता है। इतिहास इस बात का गवाह रहा है कि लंबे अरसे से इक्विटी शेयरों से, कुल मिलाकर, होनेवाले मुनाफे अन्य जरियों से होनेवाले मुनाफों की अपेक्षा अधिक रहे हैं। हालाँकि, प्रत्येक निवेशक का नफा-नुकसान इस बात पर निर्भर करता है कि वह किन कंपनियों के शेयरों में पैसा लगा रहा है। निवेशक के लिए कंपनियों और उनके कार्यनिष्पादनों को जानना जरूरी है। निवेश के कार्यनिष्पादन को जानने के लिए कंपनी के कार्यनिष्पादन पर बारीकी से नजर रखनी चाहिए। निवेशक को वित्त-संबंधी और बाजार प्रणालियों की कुछ मूलभूत जानकारी भी होनी चाहिए ताकि वह इक्विटी निवेश के सिलसिले में ऐसी जानकारी का सही इस्तेमाल कर सके। इक्विटी बाजार के रुख इक्विटी सूचकांकों (इंडाइसिस) के उतार-चढ़ाव और व्यापार की मात्रा में देखने को मिलते हैं।

ऋण लिखतें (डेट इंस्ट्रुमेण्ट):

ऋण लिखतें वे संविदाएँ (कॉण्ट्रैक्ट) हैं जहाँ एक पक्षकार(पार्टी) लेनदार (निवेशक) होता है और दूसरा पक्षकार देनदार (निर्गमकर्ता यानी कि इश्युअर)। ऋण संविदा ब्याज दर, ब्याज भुगतान का समय, मूलधन की चुकौती इत्यादि निर्धारित करती है। भारत में, 'बॉण्ड' शब्द का प्रयोग केंद्रीय और राज्य सरकारों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा निर्गमित (इश्यूड) ऋण लिखतों के लिए किया जाता है। 'डिबेंचर' शब्द का प्रयोग निजी कंपनी क्षेत्र से आनेवाले ऋण निर्गमों के लिए किया जाता है। ऋण लिखत की प्रमुख विशेषताएँ निम्नानुसार हैं:

- मियाद
- कूपन
- मूलधन

मियाद की तारीख वह तारीख होती है जब मूलधन चुकाया जाता है। कूपन वह दर है जिस पर ब्याज दर की गणना अंकित मूल्य (फेस वेल्यू) के संदर्भ में की जाती है। उदाहरणार्थ, 10% 2010 बॉण्ड में अंकित मूल्य 100 रु. है, कूपन दर 10% प्रतिवर्ष है और अंकित मूल्य की चुकौती वर्ष 2010 में की जायेगी।

कूपन दर को संपूर्ण अवधि के लिए तय किया जा सकता है या यह बेंचमार्क दर से संबंधित हो सकती है। बेंचमार्क से संबंधित होने की दशा में, बेंचमार्क दर बदलने पर कूपन दर भी बदल जाता है। इस लिखत को चल दर (फ्लोटिंग रेट) ऋण लिखत कहते हैं।

ऐसी ऋण लिखतें भी हैं जिनमें मियाद की तारीख से पहले मूलधन की रकम को छुड़ाने का विकल्प होता है। यदि यह विकल्प निर्गमकर्ता के पास होता है तो इसे कॉलेबल बॉण्ड कहते हैं। यदि यह विकल्प निवेशक के होता है तो इसे पुटेबल बॉण्ड कहते हैं।

भारत में कई प्रकार की ऋण लिखते हैं। ये हैं:

- सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बॉण्ड
- सरकारी प्रतिभूतियाँ
- खजाना बिल
- राज्य ऋण
- कंपनी डिबेंचर
- वित्तीय संस्थाओं के बॉण्ड

- वाणिज्यिक पत्र (कमर्शियल पेपर)
- जमाराशि प्रमाणपत्र

द्वितीयक बाजार में ऋण लिखतों से संबंधित क्रियाकलाप एक्सचेंज के ऋण खंड (डेट सेगमेंट) में होते हैं। ऋण बाजार के रुख ऋण सूचकांकों (इंडाइसिस) में और व्यापारावर्त (टर्नओवर) के आँकड़ों में देखने को मिलते हैं। भारत में, ऋण बाजार संबंधी क्रियाकलापों पर बैंकों और संस्थाओं का बोलबाला है।

बॉण्ड और डिबेंचर:

बॉण्ड एक ऐसा ऋण है जो खरीददार लिखत के निर्गमकर्ता को देता है। बॉण्डों का निर्गमन कंपनियों, वित्तीय संस्थाओं, या सरकार द्वारा किया जा सकता है। निर्धारित समय पर ब्याज की अदायगी के अलावा, बॉण्ड-धारक मियाद पूरी होने की निर्धारित तारीख को लिखत का सम-मूल्य प्राप्त करने का हकदार होता है। बॉण्डों को मोटे तौर पर (क) करबचत (टैक्स सेविंग) बॉण्ड (ख) नियमित आय (रेग्युलर इन्कम) बॉण्ड के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। कर बचत बॉण्ड निवेश की निर्धारित रकम तक की कर छूट का प्रस्ताव करते हैं। इनके उदाहरण निम्नानुसार हैं:

- क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 88 के अधीन आइसीआइसीआइ इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड
- ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 54ईसी के अधीन नाबार्ड/एनएचएआइ/आरईसी बॉण्ड
- ग) भारतीय रिज़र्व बैंक के कर राहत (टैक्स रिलीफ) बॉण्ड

जैसा कि नाम से जाहिर है, नियमित आय बॉण्ड का अर्थ है कि नियमित तौर पर, पहले ही से निर्धारित समय-अंतरालों पर निश्चित आमदनी उपलब्ध कराना।

कंपनियों द्वारा निर्गमित ऐसी ही लिखतों को डिबेंचर कहा जाता है। अक्सर बॉण्ड पूँजीगत अधिमूल्यन (कैपिटल एप्रिशीएशन) प्राप्त करने के लिए उपयुक्त नहीं होते। कभी-कभी निवेशक ब्याज दरों में गिरावट आने से तुरंत पहले ही कम कीमत पर बॉण्ड खरीदता है, और बाद में ब्याज दरों में आयी गिरावट की वजह से बॉण्ड की कीमत बढ़ जाती है, इससे पूँजीगत अधिमूल्यन (कैपिटल एप्रिशीएशन) सुकर होता है।

नियमित आय के उद्देश्य से बॉण्ड उपयुक्त हैं। बॉण्ड के प्रकार के आधार पर निवेशक छमाही तौर पर या मासिक तौर पर भी ब्याज प्राप्त कर सकता है, जैसा कि मासिक आयवाले (मंथली इन्कम) में होता है। जोखिम उठाने की अपनी क्षमता के आधार पर कोई व्यक्ति या तो चोटी की कंपनियों द्वारा या निम्नतर साख निर्धारणवाली (क्रेडिट रेटिंग) कंपनियों द्वारा निर्गमित बॉण्ड ले सकता है। आम तौर पर चोटी की कंपनियाँ बॉण्डों पर, निम्नतर साख निर्धारणवाली (क्रेडिट रेटिंग) कंपनियों की तुलना में, कम ब्याज का प्रस्ताव करती हैं।

कंपनी डिबेंचर

डिबेंचर ऋण लिखत होते हैं। कंपनी डिबेंचर-धारकों से उधार लेती है और आम तौर पर ऐसे निवेशकों को निश्चित ब्याज दर का प्रस्ताव करती है। अधिकांश डिबेंचर निर्धारित अवधि के बाद छुड़ाये जाते हैं। यह अवधि छोटी (18 महीनों से कम) या लंबी हो सकती है, और यह निर्गम पर निर्भर करता है। कुछ मामलों में, कंपनियाँ मियाद पूरी होने पर प्रीमियम भी अदा करती हैं।

निवेशक कंपनियों द्वारा डिबेंचरों के सार्वजनिक निर्गम में अपना पैसा लगा सकते हैं या द्वितीयक बाजार से डिबेंचर खरीद सकते हैं। इन प्रतिभूतियों से होनेवाले निश्चित मुनाफे के मद्देनजर डिबेंचरों के भावों में आम तौर पर शेयरों की अपेक्षा कम उतार-चढ़ाव होता है। निवेशक ब्याज और पूँजीगत अभिलाभ कमा सकते हैं (खरीद कीमत और बिक्री कीमत के बीच अंतर या मियाद पूरी होने पर खरीद कीमत और प्राप्त कीमत के बीच का अंतर)।

डिबेंचरों पर प्रतिफल अंकित मूल्य और बाजार मूल्य के बीच संबंध के आधार पर ब्याज की निर्धारित दर से अधिक या कम हो सकता है। उदाहरणार्थ, मान लें कि 15% ब्याजवाला 100 रु. का डिबेंचर 90 रु. में खरीदा जाता है। अदा की गयी कीमत 90 रु. है जबकि कमाया गया ब्याज 15 रु. है। इससे 16.67% का मुनाफा हो जायेगा।

उपर्युक्त उदाहरण में, निवेशक कंपनी से 100 रु. वापस लेगा (अंकित मूल्य) यदि वह मियाद पूरी होने तक डिबेंचर रखता है। इसलिए, 16.67% के ब्याज के मुनाफे के अलावा उसे पूँजीगत अभिलाभ के तौर पर 10 रु. का भी मुनाफा होगा। जब प्रतिफल की गणना के लिए पूँजीगत अभिलाभ को ध्यान में रखा जाता है, तो इसे मियादी-मुनाफा (वाइटीएम) कहा जाता है। वाइटीएम की गणना का विस्तृत उदाहरण इस अध्याय के परिशिष्ट में दिया गया है।

भारतीय बाजारों में दुर्भाग्यवश अब तक इन लिखतों के ब्याज में कमी के मद्देनजर डिबेंचरों में अर्थसुलभता कम है। स्टॉक एक्सचेंजों में बहुत ही कम डिबेंचरों का सक्रिय व्यापार होता है।

अधिकांश ऋण निर्गमों के मामले में यह अपेक्षित है कि इनकी रेटिंग साख निर्धारण एजेंसियों से करायी जाए। रेटिंग से लिखत की क्वालिटी का पता चलाता है। साख निर्धारण का रूप नीचे दिया गया है:

साख निर्धारण चिह्न और उनके अर्थ*

उच्च निवेश श्रेणियाँ

एएए	अत्यधिक सुरक्षित
एए	अधिक सुरक्षित

निवेश श्रेणियाँ

ए	पर्याप्त सुरक्षित
बीबीबी	मामूली सुरक्षित

विचारणीय श्रेणियाँ

बीबी	अपर्याप्त सुरक्षित
बी	अधिक जोखिम
सी	पर्याप्त जोखिम
डी	दोषपूर्ण

भिन्न-भिन्न साख निर्धारण एजेंसियों के चिह्न ऊपर दिये गये चिह्नों से भिन्न हो सकते हैं।

उच्च स्तरीय डिबेंचरों के मुनाफे निश्चित होते हैं और वायटीएम के आधार पर उनका पहले से ही पता लगाया जा सकता है। इन मुनाफों में केवल तभी बदलाव आता है जब कंपनी अपनी भुगतान संबंधी बाध्यताओं को पूरा करने से पीछे हट जाती है। यह जरूरी नहीं है कि निवेशक निवेश के सिलसिले में सक्रिय रहे, लेकिन केवल कंपनियों के पिछले रिकार्ड की जानकारी अवश्य रखे, कि कहीं कंपनी का कार्यनिष्पादन खराब तो नहीं है और कहीं यह अपनी ब्याज संबंधी या भुगतान संबंधी बाध्यताओं को पूरा न कर पाये।

डिबेंचर कीमतें इन लिखतों के अंकित मूल्य पर निर्भर होती हैं। सबसे अधिक प्रचलित अंकित मूल्य है 100 रुपये। इसलिए डिबेंचरों में 10000 रुपये जैसी छोटी रकम का भी निवेश किया जा सकता है।

सार्वजनिक क्षेत्र और वित्तीय संस्थाओं के बॉण्ड

समय-समय पर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विकास वित्तीय संस्थाओं द्वारा भिन्न-भिन्न प्रकार के बॉण्ड निकाले जाते हैं। अधिकांश बॉण्ड आकर्षक स्कीमों का प्रस्ताव करते हैं जैसे मासिक ब्याज, तिमाही ब्याज, भिन्न-भिन्न मोचन-विकल्पों (रिडेम्प्शन ऑप्शन), डीप डिस्काउंट बॉण्ड विकल्प आदि।

डीप डिस्काउंट बॉण्ड दीर्घावधि बॉण्ड होता है जिसमें शुरुआत में निवेश की गयी राशि मूलधन की रकम पर संचित ब्याज के आधार पर बढ़ती जाती है। उदाहरणार्थ आज किये गये 2800 रुपये के निवेश से 30 वर्षों बाद 100000 रुपये का मुनाफा हो सकता है।

बॉण्ड की कीमतें इन लिखतों के अंकित मूल्य पर आधारित होती हैं। सबसे प्रचलित अंकित मूल्य 100 रुपये है। आम तौर पर ये रकमें कम से कम लगभग 5000 रुपये होती हैं। यह जरूरी नहीं है कि निवेशक निवेश के सिलसिले में सक्रिय रहे।

भारतीय रिज़र्व बैंक के कर-मुक्त बॉण्ड (टैक्स फ्री बॉण्ड)

भारतीय रिज़र्व बैंक के कर-मुक्त बॉण्ड ऐसे विशेष बॉण्ड होते हैं जिनका निर्गमन (इश्यु) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किया जाता है और जिनमें कर-मुक्त सुविधा का प्रस्ताव किया जाता है। आम तौर पर ऐसे बॉण्डों में ब्याज की दर नियमित बॉण्डों से कम होती है (लगभग 8.5%) और इसलिए ये बॉण्ड केवल अधिक कर अदा करनेवाले व्यक्तियों को ही आकृष्ट करेंगे। ये बॉण्ड दीर्घावधि लिखत होते हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक के कर-मुक्त बॉण्ड काफी सुरक्षित होते हैं क्योंकि इनका वे देश के केंद्रीय बैंक द्वारा निकाले जाते हैं। इन बॉण्डों के मुनाफे निश्चित होते हैं और वायटीएम के आधार पर उनका पहले से ही पता लगाया जा सकता है। निवेश करनेवाले मूल व्यक्ति (अभिदाता) के लिए 8.5% कर-मुक्त का मुनाफा असल में पहले के 12% के मुनाफे पर अधिकतम 30% कर अदा करने के बाद कमाया गया मुनाफा ही है।

पारस्परिक निधि स्कीम

पारस्परिक निधियाँ ऐसी संस्थाएँ हैं जो छोटे निवेशकों से धन एकत्र करती हैं, समस्त धनराशियों को इकट्ठा करती हैं और फिर इनका निवेश विभिन्न इक्विटी और ऋण लिखतों (या मुद्रा बाजार लिखतों तथा सरकारी प्रतिभूतियों में भी) में करती हैं। पारस्परिक निधियाँ वित्तीय क्षेत्र के ऐसे सक्षम पेशेवर व्यक्तियों को नियुक्त करती हैं जो बाजारों का बारीकी से अनुसंधान करते हैं, जो कि किसी अकेले निवेशक के लिए संभव नहीं हो सकता है। यही नहीं बल्कि, किसी कंपनी का प्रबंध-तंत्र इन संस्थाओं के विस्तृत निधि आधार पर बारीकी से विचार करता है।

पारस्परिक निधि की स्कीमें असीमित अवधि की या सीमित अवधि की हो सकती हैं। असीमित अवधि की स्कीमों की मियाद तय नहीं होती। निवेशक ऐसी स्कीमों की यूनितों को, ऐसी कीमतों पर, निधि में से ही खरीद / निधि को ही बेच सकते हैं, जिन कीमतों का निर्धारण **शुद्ध आस्ति मूल्य (एनएवी)** के आधार पर, निधि द्वारा खरीद या बिक्री के समय लागू लोड को जोड़कर या घटाकर, किया जाता है। पारस्परिक निधि की असीमित अवधिवाली स्कीमों में अर्थसुलभता बहुत अधिक होती है। पारस्परिक निधियों की सीमित अवधिवाली स्कीमों के मामले में अर्थसुलभता इस बात पर निर्भर करती है कि उस स्टॉक एक्सचेंज में कितने खरीददार और विक्रेता उपलब्ध हैं, जहाँ ये यूनितें सूचीबद्ध होती हैं। इसप्रकार, अर्थसुलभता सूचीबद्ध शेयरों की अर्थसुलभता के समान होती है।

सीमित अवधिवाली स्कीमें स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हो सकती हैं और इनका व्यापार सूचीबद्ध कीमतों पर किया जा सकता है। यदि यह सूचीबद्ध नहीं है तो पारस्परिक निधियों द्वारा नियमित पुनःक्रय की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। ये कीमतें निवेशक के अनुमानों, माँग और पूर्ति संबंधी परिस्थितियों इत्यादि के कारण शुद्ध आस्ति मूल्य से काफी भिन्न हो सकती हैं। भारतीय आँकड़ों से पता चलता है कि आम तौर पर सूचीबद्ध कीमतें एनएवी से काफी कम होती हैं।

एनएवी पारस्परिक निधि उद्योग में एक प्रचलित पद है और यह शुद्ध आस्ति मूल्य को इंगित करता है। प्रति यूनिट शुद्ध आस्ति मूल्य निम्नलिखित के बराबर होता है:

स्कीम की आस्तियों के बाजार मूल्य में से देयताओं को घटाये
और फिर इसे
बकाया यूनिटों की संख्या से विभाजित करें

पारस्परिक निधियों की स्कीमें उन उद्देश्यों से लायी जाती हैं जो निवेश का स्वरूप निर्धारित करते हैं। संवृद्धि उन्मुख (ग्रोथ ओरिएंटेड) स्कीमें मुख्यतया इक्विटियों में निवेश करेंगी और अपने मुख्य उद्देश्य के तौर पर पूँजीगत अधिमूल्यन (कैपिटल एप्रिसिएशन) प्राप्त करना चाहेंगी। ऋण उन्मुख (डेट ओरिएंटेड) स्कीमें मुख्यतया ऋण लिखतों में निवेश करेंगी और अपने मुख्य उद्देश्य के तौर पर नियमित आय प्राप्त करना चाहेंगी। संतुलित स्कीम आंशिक तौर पर इक्विटी में और बाकी का ऋण (डेट) में निवेश करेगी और संवृद्धि तथा आय के उद्देश्यों में संतुलन बनाये रखेगी। कर बचत स्कीमें इस प्रकार बनायी जाती हैं कि निवेशकों को कर से राहत मिल सके।

हाल में, पारस्परिक निधियाँ इंडेक्स निधियों, सेक्टर निधियों, मुद्रा बाजार निधियों, गिल्ट निधियों आदि जैसी नयी स्कीमें ला रही हैं। इंडेक्स निधियाँ इंडेक्स स्टॉकों (उदाहरणार्थ केवल उन्हीं स्टॉकों में जिनका उपयोग सेन्सेक्स, निफ्टी इत्यादि के निर्धारण के लिए किया जाता है) में निवेश करना चाहती हैं। विशिष्ट सेक्टर निधियाँ विशेष क्षेत्रों में जैसे फॉर्मास्युटिकल या सॉफ्टवेयर जैसे क्षेत्रों में निवेश करना चाहती हैं। मुद्रा बाजार और गिल्ट निधियों में केवल उन्हीं बाजारों में ही निवेश करना चाहती हैं।

अधिकांश पारस्परिक निधियाँ उन निवेशकों पर अतिरिक्त प्रभार लगाती हैं जो उनकी निधियों (फंड) में प्रवेश करते हैं या उनसे बाहर जाते हैं। प्रवेश के समय लगाये जानेवाले प्रभारों को 'प्रवेश प्रभार' कहा जाता है और बाहर निकलते समय लगाये जानेवाले प्रभारों को 'निकास प्रभार' कहा जाता है। सामान्य तौर पर ये प्रभार शुद्ध आस्ति मूल्य (एनएवी) के कुछ प्रतिशत लगाये जाते हैं - उदाहरणार्थ - एनएवी के 1.5% का प्रवेश प्रभार। कुछ निधियाँ निवेश की मात्रा के आधार पर भिन्न-भिन्न प्रभार लगाती हैं। उदाहरणार्थ, प्रवेश प्रभार 1 लाख रुपये से कम के निवेशों के लिए 1.5% और उस स्तर से ऊपर के निवेशों के लिए 1% हो सकता है।

ऋण उन्मुख पारस्परिक निधियाँ

ये निधियाँ निवेशकों को नियमित मुनाफे देती हैं और ऋण लिखतों में निवेश करेंगी जहाँ जोखिम कम होते हैं (इक्विटी की तुलना में), और निधि (फंड) के लिए नियमित मुनाफे जुटायेगी जो कि फलस्वरूप इसके निवेशकों को ही मिलेंगे ।

निधि के निवेशों के स्वरूप के मद्देनजर, ऋण उन्मुख निधियों में सुरक्षा अपेक्षाकृत अधिक होती है। यह जरूरी नहीं है कि निवेशक निवेश के सिलसिले में सक्रिय रहे। हालाँकि निवेशक को एनएवी में होनेवाले उतारचढ़ाव के प्रति सजग रहना चाहिए। यद्यपि आम तौर पर यह अपेक्षित है कि ऋण निधियों से होनेवाले मुनाफे निश्चित हों, फिर भी ब्याज में परिवर्तन हो जाने पर एनएवी में उतार चढ़ाव हो सकता है।

इक्विटी उन्मुख पारस्परिक निधियाँ

ये निधियाँ इक्विटियों में निवेश करती हैं और पूंजीगत अधिमूल्यन (कैपिटल एप्रिसिएशन) जुटाती हैं। पारस्परिक निधि की अधिकांश स्कीमों में मोचन (रिडेम्प्शन) 2-3 दिनों में होते हैं।

इनमें सुरक्षा का स्तर कम है और निवेशकों द्वारा सीधे ही शेयरों में निवेश किये जाने की तुलना में थोड़ा बेहतर है, क्योंकि अधिकांश निधियाँ भिन्न-भिन्न इक्विटियों में निवेश करती हैं और इस प्रकार जोखिमों की संभावना कम हो जाती है। इक्विटी निधियों से होनेवाले मुनाफे स्थिर नहीं होते हैं और आम तौर पर बाजार के उतार-चढ़ाव पर तथा खास तौर पर पारस्परिक निधि के निवेश-कौशल पर निर्भर होंगे। यह जरूरी नहीं है कि निवेशक निवेश के सिलसिले में सक्रिय रहे। फिर भी निवेशक को एनएवी और प्रभार (लोड) पर नजर रखनी चाहिए।

पारस्परिक निधियों और वित्तीय संस्थाओं की कर बचत स्कीमें

ये स्कीमें निवेशकों को विशिष्ट कर-लाभ के प्रस्ताव के संबंध में सरकार से मंजूरी लेने के बाद पारस्परिक निधियों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा निकाली जाती हैं। निवेशक को अतिरिक्त लाभ मिलता है। इन निवेश-विकल्पों की अन्य विशेषताएँ वही हैं जो कि पारस्परिक निधियों और वित्तीय संस्थाओं की विशेषताएँ हैं, जिनकी चर्चा ऊपर भी की गयी है।

व्युत्पन्नी उत्पाद (डेरिवेटिव प्रोडक्ट):

फ्यूचर, ऑप्शन, फॉरवर्ड, वॉर्रंट और स्वैप को व्युत्पन्नी उत्पाद कहा जाता है। ये अन्य आस्ति, इंडेक्स या संदर्भ दर (रेफरेंस रेट) से अपना मूल्य लेते हैं।

फारवर्ड संविदा (कॉन्ट्रैक्ट) एक ऐसी संविदा होती हैं जहाँ निपटान किसी भावी तारीख को लेकिन उस कीमत पर होते हैं जो संविदा लिखे जाने की तारीख को तय किये जाएँ।

फ्यूचर कांट्रैक्ट फारवर्ड के समान ही है, लेकिन यह मानकीकृत है और इसका व्यापार व्युत्पन्नी एक्सचेंज में होता है।

विकल्प खरीदार को, किसी भावी तारीख को, आस्ति खरीदने/बेचने का अधिकार देता है न कि बाध्यता डालता है; लेकिन ऐसी कीमत पर जो संविदा लिखे जाने की तारीख को तय की जाए। किसी विकल्प का खरीदार जो कीमत अदा करता है उसे प्रीमियम कहा जाता है। आस्ति खरीदने का अधिकार प्रदान करने वाले विकल्प को कॉल ऑप्शन कहा जाता है। जब दिया गया अधिकार आस्ति की बिक्री के लिए होता है, तो उसे पुट ऑप्शन कहा जाता है। वॉरन्ट इक्विटी शेयरों पर दीर्घावधि कॉल ऑप्शन होते हैं।

उपलब्ध विकल्पों का सारांश

निवेश- विकल्प	अर्थसुलभता	सुरक्षा		सक्रिय रहना अपेक्षित?	कर बचत	अपेक्षित राशि
इक्विटी शेयर	कुछ अधिक	कम		आम तौर पर जरूरी	दीर्घावधि अल्प कर	मध्यम
कंपनी डिबेंचर	कम	सामान्य		आम तौर पर जरूरी नहीं	कर संबंधी अध्याय देखें	मध्यम
सार्वजनिक क्षेत्र और वित्तीय संस्था के बॉण्ड	सामान्य	अधिक		नहीं	कर संबंधी अध्याय देखें	कम
भारतीय रिज़र्व बैंक के कर-मुक्त बॉण्ड	सामान्य	अधिक		नहीं	कोई कर नहीं	कम
ऋण उन्मुख पारस्परिक निधियाँ	अधिक	सामान्य		नहीं	सामान्य	कम
इक्विटी उन्मुख पारस्परिक निधियाँ	अधिक	कम		नहीं	अच्छा	कम

उपर्युक्त सारणी सांकेतिक है। व्यावहारिक तौर पर प्रत्येक विकल्प के प्रति आर्कषण आर्थिक दशाओं, सरकारी नीतियों और अन्य कारकों के आधार पर रोजाना बदलता है।

परिशिष्ट

मियादी मुनाफा

आइये हम रिलायन्स पेट्रोलियम ट्रिपल ऑप्शन कन्वर्टिबल डिबेंचरो का उदाहरण लें। मान लें कि 31 अगस्त 1999 को डिबेंचर 65 रुपये पर उपलब्ध है और यह कि इसका मोचन (रिडेम्प्शन) निम्नानुसार होगा:

30 नवंबर 1999 को 20 रुपये

30 नवंबर 2000 को 30 रुपये

30 नवंबर 2001 को 30 रुपये

निवेशक इस लेनदेन से क्या मियादी मुनाफा कमायेगा?

कंप्यूटर स्प्रेडशीट से मुनाफे की आंतरिक दर (आइआरआर) व्यवस्था के जरिये आपको पल भर में मियादी मुनाफे की जानकारी मिल जाती है। आइये, हम यहाँ प्रयत्न-त्रुटि (ट्रायल एण्ड एरर) विधि अपनायें। मान लें कि वाइटीएम प्रतिवर्ष 18% था।

निवेश किये गये 65 रुपये पर, 3 महीनों (सितंबर, अक्टूबर और नवंबर 1999) के लिए, ब्याज 2.93 रुपये होगा। इसलिए लौटाये गये 20 रुपयों में 2.93 रुपये का ब्याज होगा और 17.07 रुपये का मूलधन। निवेश किया गया शेष मूलधन 47.93 रुपये होगा, यानी कि 65 रुपये में से 17.07 रुपये घटाकर ।

आप 47.93 रुपये पर, 30 नवंबर 2000 को वर्ष के लिए 18% कमायेंगे। यह 8.63 रुपये है। इस प्रकार कंपनी आपको जो 30 रुपये अदा करती है, उनमें 8.63 रुपये का ब्याज और शेष 21.37 रुपये मूलधन शामिल होंगे। इसलिए आपका बकाया मूलधन 26.56 रुपये होगा, यानी कि 47.93 रुपये में से 21.37 रुपये घटाकर ।

आप 26.56 रुपये पर, 30 नवंबर 2001 को वर्ष के लिए 18% कमायेंगे । यह 4.78 रुपये है। इस प्रकार कंपनी आपको जो 30 रुपये अदा करती है, उनमें 4.78 रुपये का ब्याज और शेष 26.22 रुपये मूलधन शामिल होंगे। हालाँकि आपकी वास्तविक मूलधन राशि 26.56 रुपये है।

इससे पता चलता है कि हमने अधिक वाइटीएम का अनुमान लगाया है। हमें वाइटीएम को कम कर देना चाहिए और फिर से गणना करनी चाहिए। शेष मूलधन की राशि 26.56 रुपये पर वास्तविक मुनाफा 16.73% होगा। नीचे दी गयी सारणी गणना को स्पष्ट करती है।

चुकौती	अदा की गयी रकम	ब्याज	अदा किया गया मूलधन	शेष मूलधन
30 नवंबर 1999	20.00	2.72	17.28	47.72
30 नवंबर 2000	30.00	7.98	22.02	25.70
30 नवंबर 2001	30.00	4.30	25.70	शून्य

अध्याय 4 . प्रतिभूतियों में लेनदेन कैसे करें?

ध्यान में रखे जानेवाले पहलू:

आप प्रतिभूतियों में निवेश करने से पहले निम्नलिखित पहलुओं को ध्यान में रखें:

- i. क्या प्रतिभूति के लिए कोई विनियमाक ढाँचा उपलब्ध है और क्या आप किसी संभावित घटना के प्रति संरक्षित हैं;
- ii. क्या प्रतिभूति का प्रस्ताव विधि की सम्यक् प्रक्रिया का पालन करते हुए किया गया है;
- iii. क्या प्रतिभूति में कोई प्रति पक्षकार (काउंटर पार्टी) जोखिम है
- iv. क्या प्रतिभूति को नकदी में आसानी से बदला जा सकता है ताकि आप अपनी अर्थसुलभता संबंधी जरूरतों को पूरा कर सकें;
- v. क्या प्रतिभूति से ऐसा मुनाफा मिलेगा जो इसके जोखिम के प्रति मुनासिब हो; और
- vi. क्या प्रतिभूति आपके निवेश-संविभाग के लिए अनुरूप है और क्या यह आपके निवेश संबंधी लक्ष्यों (अलग-अलग जगह निवेश, निवेश-परिधि, नियमित आय, संवृद्धि अवसर, निर्गमकर्ता की गुणवत्ता इत्यादि) को पूरा करती है।

प्रतिभूतियों को नकदी में बदलना:

आप प्रतिभूति को नकदी में बदल सकते हैं यदि यह सूचीबद्ध हो और स्टॉक एक्सचेंजों में इसका सक्रिय व्यापार हो रहा हो। आप प्रतिभूतियों को एक्सचेंज में बेच सकते हैं और एक्सचेंज के निपटान चक्र (सेटलमेण्ट साइकिल) के अनुसार नकद राशि प्राप्त कर सकते हैं। चूंकि स्टॉक एक्सचेंजों में होनेवाले लेनदेनों में निपटान की गारंटी होती है, इसलिए आपको हमेशा नकद राशि समय पर मिल जायेगी। यदि आपको किसी कारणवश नकद राशि नहीं मिल पाती है, तो आपके दावों के निपटारे के लिए संस्थागत इंतजाम उपलब्ध है। तथापि, समस्त प्रतिभूतियाँ एक्सचेंजों में सूचीबद्ध नहीं होतीं और न ही समस्त सूचीबद्ध प्रतिभूतियों का सक्रिय व्यापार होता है। यदि अर्थसुलभता आपके लिए सबसे अधिक अहम है तो आपको प्रतिभूति विशेष के व्यापार संबंधी पिछला रिकार्ड देखना चाहिए।

प्रतिभूतियाँ अर्जित करना:

आप प्राथमिक बाजार में कंपनी / सरकार / पारस्परिक निधियों द्वारा किये गये निर्गमों में निवेश करके या उन्हें द्वितीयक बाजार से खरीदकर प्रतिभूतियाँ अर्जित कर सकते हैं। आपके पास विकल्प है कि या तो आप निर्गमकर्ता द्वारा तय कीमत पर या बही-निर्माण (बुक बिल्डिंग)/नीलामी के जरिये निवेशकों द्वारा तय कीमत पर प्रतिभूतियों के सार्वजनिक निर्गम में पैसा लगायें। आप ऐसे साधिकार निर्गमों (राइट्स इश्यू) में भी पैसा लगा सकते हैं, जिनका प्रस्ताव कंपनी द्वारा

किया जाता है। आप कंपनी द्वारा बोनस के रूप में निगमित प्रतिभूतियाँ भी अर्जित कर सकते हैं। पारस्परिक निधियों की प्रतिभूति/यूनिटों को अर्जित करने से पहले, आपको निर्गम दस्तावेजों को पूरी तरह से अवश्य समझ लेना चाहिए, खासकर जोखिम से जुड़े पहलुओं को। आप सेबी में रजिस्ट्रीकृत दलाल/उपदलाल के माध्यम से स्टॉक एक्सचेंज में प्रतिभूतियों को खरीद या बेच भी सकते हैं।

निवेशक के अधिकार और बाध्यताएँ:

आपको अपने निवेश से संबंधित दस्तावेज प्राप्त करने का अधिकार है। आपको अधिकार है कि आप जिस मध्यवर्ती के माध्यम से लेनदेन करना चाहते हैं उसके रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र की माँग करें और उसकी वास्तविकता का सत्यापन करें। आपको प्रतिभूतियों का आबंटन या अंतरण समय पर होना ही चाहिए। यदि आपकी प्रतिभूति आपको शेयरधारक बनाती है, तो आपको लाभांश और कंपनी के अन्य फायदे जैसे अधिकार, बोनस इत्यादि समय पर मिलने ही चाहिए। आपको अधिकार है कि आप साधारण बैठकों में भाग लें और उनमें अपना वोट दें, वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियाँ प्राप्त करें, कंपनी के परिसमापन के लिए आवेदन करें इत्यादि। यदि आप एक डिबेंचर धारक हैं, तो आपको अधिकार है कि आप समय पर ब्याज/मोचन-राशि प्राप्त करें और कंपनी द्वारा ऋण चुकाने में असफल रहने की दशा कंपनी के परिसमापन के लिए आवेदन करें। यदि आप किसी एक्सचेंज में व्यापार कर रहे हैं तो आपको उस समय की सबसे अच्छी कीमत मिलनी चाहिए और धनराशि तथा प्रतिभूतियाँ समय पर प्राप्त होनी चाहिए।

आपकी साधारण बाध्यताएँ हैं - आप कंपनी/मध्यवर्ती और जिन प्रतिभूतियों में आप लेनदेन कर रहे हैं, उनके बारे में सजग रहें, ताकि आप अपेक्षानुसार प्रतिभूतियों का भुगतान कर सकें/ को सुपुर्द कर सकें और प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर सकें।

मध्यवर्ती:

दलालों, मर्चेट बैंककारों, निक्षेपागारों, पारस्परिक निधियों जैसे विभिन्न मध्यवर्ती (इंडरमीडियरी) प्रतिभूतियों के निर्गमकर्ताओं तथा निवेशकों के बीच और निवेशकों के बीच भी मध्यस्थ का कार्य करते हैं। प्रतिभूति बाजार के अधिकांश मध्यवर्तियों का रजिस्ट्रीकरण और विनियमन सेबी करता है। प्रत्येक मध्यवर्ती के लिए आचार संहिता निर्धारित की गयी है, कुछ मध्यवर्तियों जैसे पारस्परिक निधियों के एजेंटों का विनियमन सेबी द्वारा पारस्परिक निधियों के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है।

क्या मध्यवर्ती के माध्यम से लेनदेन करना जरूरी है?

आपसे अपेक्षित है कि आप कुछ लेनदेन मध्यवर्ती के माध्यम से करें। उदाहरण के तौर पर यदि आप स्टॉक एक्सचेंज में कोई प्रतिभूति खरीदना/बेचना चाहते हैं तो यह जरूरी है कि आप दलाल/उप-दलाल के माध्यम से लेनदेन करें। यदि आप प्रतिभूतियों को अभौतिक (गैरकागज़ी) रूप में रखना चाहते हैं तो आपके लिए जरूरी है कि आप निक्षेपागार(डिपॉजिटरी) में अपना खाता खोले रखें। यदि आप सार्वजनिक निर्गम में पैसा लगा रहे हैं तो आपके लिए जरूरी है कि आप निर्गम बैंककार के पास धनराशि जमा करें। मध्यवर्ती के माध्यम से लेनदेन करने पर आपको मार्गदर्शन मिलता है। सेबी में रजिस्ट्रीकृत मध्यवर्ती का ही चयन करें, क्योंकि वह अपने क्रियाकलापों के लिए जवाबदेह है। रजिस्ट्रीकृत मध्यवर्तियों की सूची सेबी, एक्सचेंजों, उद्योग संघों के पास उपलब्ध है।

मध्यवर्ती का चयन:

आपको उस मध्यवर्ती के माध्यम से लेनदेन करना चाहिए जिस पर सेबी की विनियामक अनुशासन पद्धति लागू हो। मध्यवर्ती को सेबी के पास रजिस्ट्रीकृत होना ही चाहिए और आपको मध्यवर्ती के कार्यालय में प्रदर्शित रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र से इस तथ्य का सत्यापन करना चाहिए। मध्यवर्ती का चयन करते समय आपको (क) सेवा की लागत, (ख) सेवा का स्तर, (ग) मध्यवर्ती का पिछला रिकार्ड, और (घ) ठिकाना और अपनी सुविधा का ध्यान रखना चाहिए।

आप किसी मध्यवर्ती के मौजूदा ग्राहकों से उसकी साधारण ख्याति के बारे में जान सकते हैं। इसके अतिरिक्त, जब कभी सेबी किसी मध्यवर्ती को किसी विनियम के उल्लंघन (जिसमें आचार संहिता का उल्लंघन भी सम्मिलित है) के लिए दंडित करता है तो वह प्रेस विज्ञप्ति जारी करता है। एक्सचेंज जब किसी दलाल को निलंबित करते हैं तो वे भी प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हैं। यदि कोई मध्यवर्ती व्यावसायिक रीति से कार्य नहीं करता तो आपको यह मामला सेबी में और उस स्वविनियामक संगठन/ उद्योग संघ में उठाना चाहिए, जिससे यह मध्यवर्ती जुड़ा हो। इसके अलावा आप न्यायालय में भी परिवाद भी दाखिल कर सकते हैं।

प्राथमिक बाजार:

प्राथमिक बाजार एक ऐसा स्थान है जहाँ नयी प्रतिभूतियों के निर्गम लाये जाते हैं। कंपनियाँ निवेश के लिए और/या कुछ बाध्यताएँ पूरी करने के लिए धन जुटाने हेतु नयी प्रतिभूतियों का निर्गमन करती हैं। ऐसा वे या तो सार्वजनिक निर्गमों, साधिकार निर्गमों या विक्रय के प्रस्ताव के माध्यम से करती हैं। जिस निर्गम में एक और सभी व्यक्ति प्रतिभूतियों में पैसा लगा सकते हैं उसे सार्वजनिक निर्गम कहते हैं। यदि प्रस्ताव केवल मौजूदा शेयरधारकों को ही किया जाता है तो यह साधिकार निर्गम (राइट्स इश्यू) कहलाता है। हालाँकि, यदि निर्गम कुछ ही लोगों के लिए किया जाता है तो इसे निजी स्थानन (प्राइवेट प्लेसमेण्ट) कहते हैं। गौरतलब है कि प्रतिभूतियों का निजी स्थानन सेबी के विनियामक अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। जो निर्गमकर्ता पात्रता मानदंड पूरा करते हैं, वे सेबी के मार्गदर्शक सिद्धांतों (गाइडलाइन्स) और कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुपालन के बाद प्रतिभूतियों का निर्गम कर सकते हैं। यदि आप प्राथमिक बाजार से प्रतिभूतियाँ खरीदने के इच्छुक हैं तो आपको निवेश के बारे में पहले बताये गये बारह चरणों को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए।

निर्गमों के बारे में जानकारी प्राप्त करना:

प्रतिभूतियों का निर्गम करनेवाली कंपनी प्रॉस्पेक्टस या प्रॉस्पेक्टस की एवज में एक विवरण जारी करती है जिसमें निर्गम के संबंध में समस्त ब्यौरा दिया जाता है, जिसमें कीमत या कीमत निर्धारण की रीति, निर्गम आमदनी का उपयोग, जोखिम कारक, प्रबंधन, विभिन्न प्रकटीकरणों,

और निवेशकों के प्रति प्रतिभूतियों के अभिदान और आबंटन की कार्यप्रणाली आदि की जानकारी होती है। यह दस्तावेज सेबी और कंपनी रजिस्ट्रार को प्रस्तुत किया जाता है। समाचारपत्रों में इसका संक्षिप्त रूप जारी किया जाता है। तथापि, यदि आप प्रतिभूतियों के किसी निर्गम में पैसा लगाने के इच्छुक हैं तो आपको पूरे प्रॉस्पेक्टस की एक प्रति अवश्य प्राप्त करनी चाहिए और इसकी विषयवस्तु को समझ लेना चाहिए।

आपके लिए यह जरूरी है कि आप इक्विटी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े जोखिम का स्वयं निर्धारण करें। निवेश के सिलसिले में अपना फैसला लेने से पहले आपको चाहिए कि आप जोखिम कारकों, कंपनी के कारोबार, प्रबंधक वर्ग की चर्चाओं और कंपनी के वित्तीय विवरणों के विश्लेषण, निर्गम कीमत के आधार, और कीमत उपार्जन (पी/ई), नकदी प्रवाह कीमत जैसे महत्वपूर्ण वित्त संबंधी अनुपातों और उस उद्योग में अन्य कंपनियों की तुलना में निर्गमकर्ता कंपनी के सापेक्ष आकर्षण से संबंधित खंडों को ध्यान से अवश्य पढ़ें।

आपके लिए यह जरूरी है कि आप ऋण प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े जोखिम का स्वयं निर्धारण करें। खास तौर पर, आपको उस प्रतिभूति के साख निर्धारण (क्रेडिट रेटिंग) और स्वरूप पर विचार करना चाहिए, जिसका प्रस्ताव किया जा रहा है। निर्गमकर्ता कंपनियों के लिए यह लाजिमी है कि वे कम से कम एक रेटिंग एजेंसी से रेटिंग प्राप्त करें। उनसे यह अपेक्षित है कि वे उन समस्त साख निर्धारणों को प्रकट करें जो उन्होंने ऋण लिखत का सार्वजनिक या साधिकार निर्गम से पहले के अंतिम तीन वर्षों के दौरान प्राप्त किये हों। प्राथमिक बाजार में ऋण निर्गम करनेवाली कंपनियों के लिए यह भी लाजिमी है कि वे ऋण प्रतिभूतियों के प्रति सुरक्षा के उपाय करें। ऋण प्रतिभूति संबंधी सेवाएँ प्रदान करने के लिए कंपनी की ओर से हुई किसी चूक की दशा में डिबेंचर न्यासी डिबेंचर धारकों को बकाया राशि चुकाने के लिए प्रतिभूत आस्तियों (सिक्योरिटी एसेट्) को परिसमाप्त कर सकते हैं। इसलिए आपको, ऋणों के संदर्भ में, उस प्रतिभूति का सावधानी से विश्लेषण करना चाहिए जिसका प्रस्ताव कंपनी द्वारा किया जा रहा है, ताकि इससे कंपनी के दिवालिये होने की दशा में आपके धन की चुकौती सुनिश्चित हो सके।

अभौतिक(डीमैट) खाता:

यद्यपि कंपनी का यह दायित्व है कि वह प्रतिभूतियों का प्रस्ताव भौतिक और अभौतिक दोनों रूप में करे, फिर भी आपके पास विकल्प है कि आप प्रतिभूतियों को किसी भी रूप में प्राप्त करें। यदि आप अभौतिक रूप में प्रतिभूतियाँ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप अपने आवेदन पत्र में उस निक्षेपागार और निक्षेपागार सहभागी का भी नाम इंगित करें जिसके पास आपका निक्षेपागार खाता (डिपॉजिटरी अकाउंट) है। हालाँकि, यह वांछनीय है कि आप प्रतिभूतियों को अभौतिक रूप में रखें क्योंकि भौतिक प्रतिभूतियों के नकली होने, जाली होने या चोरी हो जाने का जोखिम होता है।

क्या निवेशक को कीमत निर्धारण के संबंध में राय देने का अधिकार है?

प्रतिभूतियों का निर्गमन निर्गमकर्ता द्वारा निर्धारित कीमत (निर्धारित कीमत निर्गम) पर या ऐसी कीमत पर किया जाता है, जो बही निर्माण (बुक बिल्डिंग) प्रक्रिया के माध्यम से निवेशकों द्वारा निर्धारित की जाए। निर्धारित कीमतवाले निर्गम के मामले में आप निर्गमित की जानेवाली प्रतिभूति (सिक्क्योरिटी) की कीमत में बारे में कोई राय नहीं दे सकते, जबकि बही निर्माण प्रक्रियावाले निर्गम के मामले में आपको निर्गमित की जानेवाली प्रतिभूति की कीमत के निर्धारण के बारे में राय दे सकते हैं।

बही निर्माण प्रक्रिया में भाग लेना :

बही निर्माण प्रक्रिया में, आम तौर पर बही को पाँच दिनों की न्यूनतम अवधि के लिए खोला जाता है। इस दौरान आप अपनी बोली प्रस्तुत कर सकते हैं और उसमें तब्दीली भी कर सकते हैं। इस अवधि के दौरान जब बही खोली जाती है, संबद्ध (सिंडीकेट) सदस्यों के बोली केंद्रों (बिडिंग टर्मिनलों) पर भिन्न-भिन्न कीमतों को लेकर की गयी माँग को ग्राफ रूप में प्रदर्शित किया जाता है, जिसे हर आधे घंटे बाद अद्यतन बनाया जाता है। आप सिंडीकेट सदस्यों के किसी भी बोली संग्रहण केंद्र (बिड कलेक्शन सेंटर) में बोली-सह-आवेदन पत्र और बोली की रकम जमा करके फ्लोर कीमत पर या उससे अधिक किसी भी कीमत पर बोली लगा सकते हैं। बुक रनिंग अग्रणी (लीड) प्रबंधक या सिंडीकेट सदस्य बोली लगाने की इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली में हर विकल्प को अलग-अलग बोली के रूप दर्ज करते हैं और प्रत्येक कीमत तथा माँग-विकल्प के लिए लेनदेन रजिस्ट्रीकरण पर्ची तैयार करके आपको देते हैं।

प्रतिभूतियों के लिए भुगतान करना:

निर्धारित कीमतवाले निर्गमों के लिए, आपसे अपेक्षित है कि आप आवेदन करते समय अपने आवेदन पत्र के साथ अदा की जानेवाली रकम को वसूलीकर्ता बैंक में जमा करें। बही निर्माण प्रक्रियावाले निर्गमों के लिए, आपसे अपेक्षित है कि आप बोली लगाते समय अपने बोली-सह-आवेदनपत्र के साथ अदा की जानेवाली रकम सिंडीकेट सदस्य के पास जमा करें।

द्वितीयक बाजार

द्वितीयक बाजार में आप जोखिम या मुनाफे के बारे में लगाये गये अपने अनुमान के मुताबिक अपनी प्रतिभूतियों को बेच या खरीद सकते हैं। यहाँ आप अपनी जरूरतों के मुताबिक प्रतिभूतियों को बेचकर नकद राशि प्राप्त कर सकते हैं। इसमें लाजिमी तौर पर वे सभी स्टॉक एक्सचेंज शामिल होते हैं, जहाँ प्रतिभूतियों में व्यापार होता है। एक्सचेंजों की देखरेख और सेबी की निगरानी में विस्तृत सुस्थापित विनियामक ढाँचे के अनुसार प्रतिभूतियों का व्यापार,

समाशोधन (क्लीयरिंग) और निपटान किया जाता है। आप केवल रजिस्ट्रीकृत दलाल के माध्यम से ही एक्सचेंज में व्यापार कर सकते हैं।

स्टॉक एक्सचेंज में व्यापार करना क्यों जरूरी है?

स्टॉक एक्सचेंज प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध करता है और आपको सूचीबद्ध प्रतिभूतियों में व्यापार करने का अवसर प्रदान करता है। यह आपके हित में इस तथ्य को सुनिश्चित करता है कि कंपनियों द्वारा कुछ अनुपालना और प्रकटीकरण (डिस्क्लोजर) किये जाते हैं। यह आपकी ओर से किये गये व्यापारों के निपटान की गारंटी देता है और आपके दलाल के चूककर्ता होने की दशा में आपको संरक्षण प्रदान करता है।

स्टॉक बाजार के बाहर हाजिर संव्यवहारों (स्पॉट ट्रांजेक्शन) के अलावा प्रतिभूतियों में किया गया कोई व्यापार एक्सचेंजों या सेबी के विनियामक ढाँचे में नहीं आता। इसलिए यदि आप एक्सचेंज से बाहर लेनदेन करते हैं तो आपको संरक्षण प्राप्त नहीं होता। इसके अलावा, स्टॉक एक्सचेंज आपको आपकी प्रतिभूतियों के लिए तैयार बाजार उपलब्ध कराता है। यदि आप एक्सचेंज से बाहर व्यापार करते हैं तो आपको ऐसे सही व्यक्ति की तलाश में अपना काफी वक्त बरबाद करना पड़ता है, जो आपके अनुसार लेनदेन करने का इच्छुक हो। एक्सचेंज में व्यापार करने के अन्य फायदे हैं: आपको प्रतिपक्ष (काउंटर पार्टी) संबंधी जोखिम नहीं होता, जिसका अनुमान समाशोधन निगम (क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन) द्वारा लगाया जाता है, आपको स्टॉक एक्सचेंजों की निवेशक शिकायत समाधान प्रणाली तक भी पहुँच होती है।

दलाल / उप-दलाल आपके और स्टॉक एक्सचेंज के बीच संपर्क-सूत्र का कार्य करते हैं। वे बाजार में मध्यवर्ती (इंटरमीडियरी) का कार्य करते हैं, लेकिन सेबी/ संबंधित स्टॉक एक्सचेंज के विनियामक अनुशासन के तहत। वे आपकी ओर से प्रतिभूतियों में लेनदेन करते हैं। उनके साथ आपके संबंध ग्राहक-दलाल/ग्राहक-उपदलाल करारनामे में निर्धारित शर्तों के अनुसार नियंत्रित होते हैं।

यदि आप सक्रिय तौर पर प्रतिभूतियों को खरीद और बेच रहे हैं, तो आपके लिए सलाह है कि आप अभौतिक प्रतिभूतियों की प्राप्ति एवं सुपुर्दगी के लिए एक निक्षेपागार खाता खोल लें। यह आपके हित में है कि प्रतिभूतियों की खरीद के सिलसिले में इन्हें तुरंत जमा करने के लिए आपके पास निक्षेपागार खाता हो और इससे आप भौतिक प्रमाणपत्रों से संबंधित सभी खामियों से बच सकते हैं।

दलाल/उप-दलाल को सेबी/ संबंधित स्टॉक एक्सचेंज के पास अवश्य रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए और आपको इसका सत्यापन उसके कार्यालय में प्रदर्शित रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र से करना चाहिए। ऐसे प्राधिकृत दलालों/उप-दलालों की सूची संबंधित एक्सचेंजों के पास मौजूद होती है।

उसके पास ऐसी बुनियादी सुविधाएँ होनी चाहिए जिनसे आपके कारोबार में तेजी और यथार्थता आ सके। इसके अलावा, आपको अपनी सुविधा का भी खयाल रखना चाहिए जैसे ठिकाना, लागत और सेवा संबंधी गुणवत्ता आदि।

कंपनियों के बारे में जानें:

ऐसे कई स्रोत हैं जिनके जरिये आप कंपनी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सूचीबद्धता करारनामे (लिस्टिंग एग्रीमेण्ट) की शर्तों के मुताबिक कंपनियों से यह अपेक्षित होता है कि वे कीमत संवेदनशील जानकारी के बारे में लगातार प्रकटीकरण करें। ये प्रकटीकरण एक्सचेंजों के वेबसाइटों के जरिये प्रदर्शित किये जाते हैं। इसके अलावा सेबी ईडीआइएफएआर (इलेक्ट्रॉनिक ऑकड़ा जानकारी दाखिल करना एवं प्राप्त करना) प्रणाली की सुविधा उपलब्ध कराता है, जो कि एक स्वचालित प्रणाली है जिसके अंतर्गत कंपनी की समय-संवेदनशील जानकारी दाखिल, प्राप्त तथा प्रसारित होती है। ईडीआइएफएआर में (i) वित्त संबंधी विवरण जिसमें तुलन पत्र, लाभ और हानि लेखा तथा पूरी वार्षिक रिपोर्ट, नकदी प्रवाह (कैश फ्लो) विवरण और वित्त संबंधी तिमाही विवरण सहित वित्त संबंधी छमाही विवरण शामिल होते हैं, (ii) कंपनी शासन (कॉर्पोरेट गर्वनेन्स) संबंधी रिपोर्टें (iii) शेयरधारिता का स्वरूप और (iv) विनियामक निकाय (रेगुलेटरी बॉडी) द्वारा कंपनी के खिलाफ की गयी कार्रवाई से संबंधित जानकारी होती है। ईडीआइएफएआर <http://sebidifar.nic.in> पर उपलब्ध है। उपर्युक्त के अलावा, आपके मध्यवर्ती (इंटरमीडियरी) के पास और विभिन्न सार्वजनिक रूप से उपलब्ध ऑनलाइन साइटों पर कंपनी के ब्यौरे उपलब्ध होते हैं।

द्वितीयक बाजार में प्रतिभूतियों को खरीदने से पहले निवेशक को किन बातों का ध्यान चाहिए?

आपको जल्दबाज़ी में, किसी गरमागरम खबर के आधार पर या दुनिया की देखादेखी प्रतिभूतियाँ नहीं खरीदनी चाहिए। आपको इस बात पर गौर करना चाहिए कि आप को जो जानकारी मिली है वह किस हद तक सही है और केवल तभी समस्त तथ्यों के आधार पर प्रतिभूति की खरीद करनी चाहिए। आपको निवेश के सिलसिले में फैसला लेने से पहले प्रतिभूति संबंधी मूलभूत तथ्यों की जाँच कर लेनी चाहिए।

दस्तावेज जो निवेशक को लेनदेनों के सिलसिले में दलाल/उप-दलाल से प्राप्त करने चाहिए:

दलाल/उप-दलाल से आपके संबंध कायम करते समय आपको ग्राहक-दलाल/ ग्राहक-उपदलाल करारनामे पर हस्ताक्षर करने चाहिए जिसके अंतर्गत उसके साथ आपके संबंध का ब्यौरा दिया जाता है। आपको इस करारनामे की एक प्रति अपने पास रखनी चाहिए। आपको दलाल से ऐसा संविदा नोट (कॉन्ट्रैक्ट नोट) प्राप्त करना चाहिए जिसके अंतर्गत आपके व्यापारों के निष्पादन के संबंध में आपके लेनदेनों की जानकारी दी जाती है। आपको दलाल को किये गये भुगतानों की रसीदें भी प्राप्त करनी चाहिए।

विनियमों के अनुसार यह अपेक्षित है कि आप लेनदेन के 24 घंटों के भीतर संविदा नोट प्राप्त करें, जिसके अंतर्गत आदेश संख्या, लेनदेन (व्यापार) संख्या, समय, कीमत, दलाली इत्यादि जैसे ब्यौरे दिये जाते हैं। यदि आपको संविदा नोट में उल्लिखित आदेश संख्या, व्यापार संख्या, कीमत इत्यादि के ब्यौरों को लेकर कोई शक हो तो आपको प्रमुख स्टॉक एक्सचेंजों (एनएसई और बीएसई) द्वारा अब निवेशकों हेतु उपलब्ध करायी गयी सुविधा का लाभ अवश्य उठाना चाहिए जिसके तहत निवेशक संबंधित वेबसाइटों पर अपने लेनदेनों का सत्यापन कर सकते हैं। यह वांछनीय है कि आप इस यदा-कदा कुछ लेनदेनों के सिलसिले में इस सुविधा का लाभ उठाएँ, फिर भले ही आपको शक हो या न हो। एक्सचेंज आदेशों/व्यापारों का पूरा रिकार्ड कई वर्षों तक रखते हैं ताकि आवश्यकता पड़ने पर इनकी लेखापरीक्षा भी की जा सके और आप भी स्वयं एक्सचेंज में अपने आदेश/व्यापार के ब्यौरों की जाँच कर सकते हैं।

संविदा नोट:

संविदा नोट ऐसा नोट है जिसके अंतर्गत आपकी ओर से किसी विशेष दिन किये गये व्यापारों की पुष्टि की जाती है। इससे व्यापारों के निपटान (सेटलमेण्ट) के विषय में आपके और दलाल के बीच कानूनी रिश्ता कायम हो जाता है। इससे विवादों/दावों/मतभेदों का निपटारा करने में भी मदद मिलती है। दलाल के खिलाफ शिकायत दायर करने या माध्यस्थम् (आर्बिट्रेशन) कार्यवाही करने के लिए संविदा नोट का होना पहली अपेक्षा है। विधिमान्य संविदा नोट निर्धारित प्ररूप में होना चाहिए, इस पर प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर होने चाहिए और इसमें व्यापारों के ब्यौरे होने चाहिए।

भुगतान करना और भुगतान प्राप्त करना :

केवल दलाल/उप-दलाल के नाम में जारी आदाता के खाते में देय (अकाउंट पेइ) चेक के जरिये ही भुगतान करना उचित होगा। मध्यवर्ती से समुचित रसीद प्राप्त की जानी चाहिए। आपको संबंधित स्टॉक एक्सचेंज द्वारा भुगतान किये जाने की घोषणा के 48 घंटों के भीतर प्रतिभूतियों के लिए भुगतान प्राप्त कर लेना चाहिए।

प्रतिभूतियाँ सुपुर्द करना और प्राप्त करना:

आपको भुगतान-प्राप्ति से पहले प्रतिभूतियाँ सुपुर्द करनी चाहिए और जिन प्रतिभूतियों के लिए आपने भुगतान किया है वे प्रतिभूतियाँ आपको संबंधित एक्सचेंज द्वारा प्रतिभूतियों का भुगतान किये जाने से 48 घंटों के भीतर प्राप्त कर लेनी चाहिए।

दलालों के पास मार्जिन और जमाराशियाँ:

विनियमों के तहत किसी निवेशक पर ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि वह दलाल के पास जमाराशि रखे। यह केवल दलाल/उप-दलाल के साथ आपकी आपसी समझ पर निर्भर करता है। हालाँकि, आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि आप व्यापार के निष्पादन से पहले दलाल को अग्रिम तौर पर (अपप्रॉन्ट) मार्जिन अदा करें। आम तौर पर एक्सचेंज प्रतिभूति की अर्थसुलभता (लिक्विडिटी) के आधार पर ग्राहकों से अग्रिम तौर पर (अपप्रॉन्ट) वसूले जानेवाले मार्जिनों का उच्चतर स्तर निर्धारित करते हैं।

निवेशक संरक्षण निधि क्यों?

एक्सचेंज निवेशक संरक्षण निधि बनाये रखते हैं ताकि निवेशकों के उन दावों की भरपाई की जा सके, जो एक्सचेंज में किये गये व्यापारों के सिलसिले में किसी ऐसे व्यापारिक सदस्य (ट्रेडिंग मेम्बर) की बाध्यताओं को पूरा न किये जाने के कारण उत्पन्न होते हैं, जिसे चूककर्ता घोषित कर दिया गया हो।

कंपनियों और दलालों के खिलाफ शिकायतें:

आपको अपनी शिकायतें उस दलाल को बतानी चाहिए जिससे उपदलाल संबद्ध है। यदि उपदलाल/दलाल विवाद को सुलझाने में असफल रहता है, तो ऐसी दशा में और दलाल/कंपनी के खिलाफ शिकायतों के मामले में आपको संबंधित एक्सचेंज के निवेशक शिकायत कक्ष के समक्ष यह मामला उठाना चाहिए। यह कक्ष एक्सचेंज में किये गये व्यापारों से संबंधित या एक्सचेंज में जिन कंपनियों के सिलसिले में लेनदेन होता है उनके व्यापारों से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए कार्यवाही करता है। आपको अपनी शिकायतें निर्धारित फॉर्मेट में दर्ज करनी चाहिए और इसके साथ समस्त संबंधित दस्तावेजों जैसे संविदा नोट आदि संलग्न करने चाहिए।

व्युत्पन्नी (डेरिवेटिव) बाजार :

व्युत्पन्नी एक ऐसी संविदा है जिसका मूल्य प्रतिभूतियों की कीमतों या कीमतों के सूचकांक (इंडेक्स) से निकलता है। यह प्रतिभूतियों में आपकी स्थिति को कीमत संबंधी जोखिम के प्रति संरक्षित करने में और आपके निवेशों से होनेवालों मुनाफों को बढ़ाने में मदद करती है। व्युत्पन्नी संविदा केवल तभी कानूनी और विधिमान्य होती है जब ऐसी संविदाओं का व्यापार मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में किया जाता है। यदि आप किसी एक्सचेंज में व्युत्पन्नियों में व्यापार करते हैं तो समाशोधन निगम (क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन) एक्सचेंज में किये गये समस्त व्यापारों का कानूनी पक्ष (लीगल काउंटर पार्टी) बन जाता है और जो निपटान की गारंटी देता है; आपको अपने साथ व्यापार करने के लिए किसी दूसरे पक्ष (काउंटर पार्टी) को तलाशने की जरूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि बाजार में अर्थसुलभता उपलब्ध होती है और एक्सचेंज के औपचारिक नियम एवं प्रणालियाँ बाजार की स्थिरता तथा सत्यनिष्ठा को सुनिश्चित करते हैं। व्युत्पन्नियों के प्रचलित रूप हैं - फ्यूचर्स और ऑप्शन। वर्तमान में भारतीय एक्सचेंजों में इंडेक्स फ्यूचर्स, इंडेक्स

ऑप्शन्स, स्टॉक फ्यूचर्स और स्टॉक ऑप्शन्स जैसी मानक व्युत्पन्नी संविदाओं में व्यापार होता है।

व्युत्पन्नी बाजारों में दलाल और स्टॉक एक्सचेंज:

स्टॉक एक्सचेंज व्युत्पन्नी संविदाओं की रूपरेखा तैयार करता है और आपको उन संविदाओं में व्यापार करने का मौका देता है। यह आपकी ओर से की गयी संविदाओं के निपटान की गारंटी देता है और दलाल के चूककर्ता हो जाने की दशा में आपको संरक्षण प्रदान करता है। आप केवल दलाल के माध्यम से ही व्युत्पन्नियों में व्यापार कर सकते हैं। दलाल सेबी में रजिस्ट्रीकृत एक मध्यवर्ती (इंटरमीडियरी) होता है जो आपकी ओर से एक्सचेंज में व्यापार करता है। आपके संबंध ग्राहक-दलाल करारनामे में निर्धारित शर्तों के अनुसार नियंत्रित होते हैं। दलाल को सेबी के पास अवश्य रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए और इसका सत्यापन आपको दलाल के कार्यालय में प्रदर्शित रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र से करना चाहिए।

मार्जिन और जमाराशियाँ:

आम तौर पर आपसे यह अपेक्षित होता है कि आप आरंभिक मार्जिन का भुगतान करें, जिसका भुगतान लेनदेन किये जाने से पहले ही यानी कि अग्रिम तौर पर किया जाता है और जिससे किये गये किसी निवेश-संविभाग (पोर्टफोलियो) के सिलसिले में एक दिन से लेकर अगले दिन के बीच हो सकनेवाले अधिकतम नुकसान की भरपाई हो जाती है। आपका दलाल आपको इसकी सूचना देता है। आपसे अपेक्षा की जा सकती है कि आप दलाल के पास या तो नकद रूप में या जमानत के रूप में (जो स्वीकार्य हो) अग्रिम तौर पर मार्जिन रखें। यह आवश्यक है क्योंकि लेनदेन किये जाने के समय ग्राहक द्वारा मार्जिनों को अग्रिम तौर अदा किया जाना अपेक्षित है। इसकी वजह से ग्राहक से बार बार दैनिक मार्जिन की माँग नहीं की जाती।

यदि दलाल चूककर्ता हुआ तो?

आप निवेशक शिकायत कक्ष में अपनी शिकायतों की रिपोर्ट कर सकते हैं। वैकल्पिक तौर पर आप मामले को माध्यस्थम् (आर्बिटेशन) के लिए प्रस्तुत कर सकते हैं या चूककर्ता के खिलाफ अपना दावा दायर करने के लिए चूककर्ता समिति को मामला प्रस्तुत कर सकते हैं। यही नहीं बल्कि आप संबंधित एक्सचेंज की निवेशक संरक्षण निधि से संरक्षण प्राप्त कर सकते हैं। यह निधि दलाल को चूककर्ता घोषित किये जाने की दशा में आपके उन दावों की भरपाई करती है, जो एक्सचेंज में किये गये लेनदेनों के सिलसिले में दलाल द्वारा बाध्यताओं का निपटान न किये जाने की वजह से उत्पन्न हुए हों।

निवेशक खरीदी गयी व्युत्पन्नियों (डेरिवेटिव) के लिए कब भुगतान करता है?

आप या तो निपटान (सेटलमेण्ट) संबंधी बाध्यताओं के प्रति समायोजन (एडजस्टमेण्ट) के लिए दलाल के पास रकम रख सकते हैं, या प्रत्येक संविदा (कॉन्ट्रैक्ट) के लिए अलग-अलग भुगतान कर सकते हैं, जैसा कि ग्राहक-सदस्य करारनामे में निर्धारित हो। फिर भी यह सलाह दी जाती है कि विवादों से बचने के लिए दलाल के पास रखे खातों का लगातार मिलान करते रहें।

निवेशक को बेची गयी व्युत्पन्नियों के लिए पैसा कब मिलता है?

आपके द्वारा बेची गयी संविदाओं (कॉन्ट्रैक्ट) के संबंध में भुगतान आपके खाते में, एक्सचेंज द्वारा निर्धारित समय के भीतर, जमा हो जाने चाहिए। हालाँकि आप या तो दैनिक रूप से या ऐसे समय अंतरालों में भुगतान प्राप्त कर सकते हैं, जैसा भी ग्राहक-सदस्य करारनामे में निर्धारित हो।

दलाल के खिलाफ शिकायतें:

आपको संबंधित एक्सचेंज के निवेशक शिकायत कक्ष के पास मामला उठाना चाहिए।

निक्षेपागार (डिपॉजिटरी) सेवाएँ:

दो निक्षेपागार हैं, जिनके नाम हैं - नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड और सेण्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड जो बही प्रविष्टि (बुक एन्ट्री) के रूप में प्रतिभूतियों (सिक्योरिटीज) के स्वामित्व (ओनरशिप) का रिकार्ड रखते हैं और प्रतिभूतियों का अंतरण करते हैं और तीव्रता, यथाथता तथा सुरक्षा के साथ कार्य करते हैं। निक्षेपागार प्रतिभूतियों को अभौतिक (गैरकागजी) रूप में रखते हैं और निक्षेपागार में रखी गयी समस्त प्रतिभूतियाँ ज्यों की त्यों रहती हैं। हालाँकि प्रतिभूतियों में निवेश करनेवाले निवेशक निक्षेपागार के रिकार्डों में हिताधिकार स्वामी (बेनिफिशियल ओनर) होते हैं, तो वहीं निक्षेपागार कंपनी के रिकार्ड में रजिस्ट्रीकृत स्वामी होते हैं। हालाँकि प्रतिभूतियों से संबंधित समस्त अधिकार हिताधिकारी स्वामियों को प्राप्त होते हैं।

यदि आप प्रतिभूतियों को अभौतिक (गैरकागजी) रूप में रखते हैं तो आप प्रतिभूतियों को खरीदते समय इनका अंतरण तत्काल करा सकते हैं; आपको प्रतिभूतियों के अंतरण पर स्टाम्प ड्यूटी अदा नहीं करनी पड़ती; आप भौतिक (कागजी) प्रमाणपत्रों से जुड़े जोखिमों से भी बचते हैं जैसे बुरी सुपुर्दगी, जाली प्रतिभूतियाँ इत्यादि।

निक्षेपागार अपने एजेंटों, जिन्हें **निक्षेपागार सहभागी (डिपॉजिटरी पार्टिसिपेण्ट)** कहा जाता है, के माध्यम से निवेशकों से संपर्क बनाये रखता है। यदि आप निक्षेपागार द्वारा प्रस्तावित सेवाओं का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप **निक्षेपागार सहभागी (डीपी)** के पास खाता

खोलें। यह ठीक उसी तरह है जिस तरह बैंक की सेवाओं का लाभ उठाने के लिए बैंक की किसी शाखा में खाता खोलना।

अभौतिकीकरण (गैरकागज़ी रूप देना) और पुनर्भौतिकीकरण (फिर से कागज़ी रूप देना) :

आप ऐसी प्रतिभूतियों को अभौतिक रूप दे सकते हैं, जो आपके नाम में रजिस्ट्रीकृत हैं और जो किसी भी निक्षेपागार में अभौतिकीकरण के लिए स्वीकृत प्रतिभूतियों की सूची में हैं। आप अपने निक्षेपागार सहभागी (डीपी) से या निक्षेपागारों के वेबसाइट से अभौतिकीकरण हेतु स्वीकृत प्रतिभूतियों की नवीनतम सूची प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप अपनी प्रतिभूतियों को फिर से भौतिक रूप में पाना चाहते हैं तो आपको उनके पुनर्भौतिकीकरण के लिए अपने निक्षेपागार सहभागी(डीपी) से अनुरोध करना होगा। निक्षेपागार सहभागी आपका अनुरोध निक्षेपागार को भेजेगा जो मामले को संबंधित कंपनी के साथ उठायेगा। कंपनी आपको भौतिक प्रमाणपत्र जारी करेगी। आपको अपनी प्रतिभूतियाँ अपनी इच्छानुसार भौतिक या अभौतिक रूप में रखने की पूरी आज़ादी है।

निक्षेपागार सहभागी(डीपी) का चयन:

आपको अभौतिक खाता (डीमैट अकाउंट) खोलने के लिए निक्षेपागार सहभागी का चयन करना चाहिए, ठीक उसी तरह जिस तरह आप बचत खाता खोलने के लिए किसी बैंक का चयन करते हैं। आपको कुछ महत्वपूर्ण तथ्य ध्यान में रखने चाहिए जैसे सहूलियत (आपके कार्यालय/निवास से नजदीकी, कारोबार का समय), समाधानप्रद तथ्य (साख, पूर्ववृत्त, अन्य निवेशकों के अनुभव, बुनियादी सुविधाएँ) और लागत (सेवा शुल्क और सेवा का स्तर)। आपको यह अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए कि निक्षेपागार सहभागी सेबी के पास रजिस्ट्रीकृत हो।

सुपुर्दगी-अनुदेश पर्ची (डीआइएस):

सुपुर्दगी-अनुदेश पर्ची वैसी ही होती है जैसी कि एक चेक बुक, और आपको इसे बहुत संभाल कर रखना चाहिए। आपको अपने निक्षेपागार सहभागी से आग्रह करना चाहिए कि वह आपको सुपुर्दगी-अनुदेश पर्चियों की पुस्तिका जारी करे न कि अलग-अलग पर्चियाँ। इन पर्चियों पर सुपुर्दगी-अनुदेश पर्ची संख्या पहले से मुद्रित होनी ही चाहिए और आपके खाता संख्या (ग्राहक पहचान) की मुहर पहले से लगी होनी चाहिए। सुपुर्दगी-अनुदेश पर्ची को भरे बिना उस पर हस्ताक्षर करके किसी के पास न छोड़ें और अपनी सुपुर्दगी-अनुदेश पर्ची पुस्तिका का उपयोग न किये जाने की दशा में उसे सुरक्षित स्थान पर रखें।

अभौतिक (डीमैट) शेयरों को प्राप्त करना:

सार्वजनिक निर्गम (पब्लिक इश्यू) में, निर्गमकर्ता (इश्युअर) निक्षेपागार सहभागी को सूचित करता है कि वह आपको आबंटित प्रतिभूतियों को आपके खाते में जमा करे। द्वितीयक बाजार (सेकेण्डरी मार्केट) से की जानेवाली खरीदों के मामले में अभौतिक प्रतिभूतियों को प्राप्त करने के लिए, आप अपने निक्षेपागार सहभागी को एकबारगी स्थायी अनुदेश दे सकते हैं। यह स्थायी अनुदेश खाता खोलने के समय या बाद में दिया जा सकता है। वैकल्पिक तौर पर, आप अपने निक्षेपागार सहभागी को प्रत्येक प्रविष्टि प्राप्त करने हेतु अलग से अनुदेश भी दे सकते हैं। आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आपका दलाल आपकी प्रतिभूतियों को अपने समाशोधन खाते (क्लीयरिंग अकाउंट) से आपके निक्षेपागार खाते (डिपॉजिटरी अकाउंट) में बही-बंदी (बुक क्लोजर) से पहले अंतरित कर देता है। यदि प्रतिभूतियाँ दलाल के समाशोधन खाते में रह जाएँ तो कंपनी दलाल को कंपनी-फायदे (लाभांश या बोनस) देगी। ऐसी स्थिति में आपको अपने दलाल से ये फायदे प्राप्त करने चाहिए।

अभौतिक शेयरों को बेचना:

आप प्रतिभूतियों को बेचने के बाद अपने निक्षेपागार सहभागी को अनुदेश देंगे कि वह आपके द्वारा बेची गयी प्रतिभूतियों की संख्या को आपके खाते में नामे डाल दे और आपके दलाल के समाशोधन खाते में जमा कर दे। आपको सुपुर्दगी संबंधी यह अनुदेश अपने निक्षेपागार सहभागी को देना होगा, जिसमें आप उस सुपुर्दगी-अनुदेश पर्ची (डीआइएस) का उपयोग करेंगे, जो आपको निक्षेपागार सहभागी द्वारा खाता खोलते समय दी गयी थी।

लाभांश और ब्याज:

संबंधित कंपनी निक्षेपागार से हिताधिकारी धारकों (बेनिफिशियरी होल्डर) और उनकी धारिताओं (होल्डिंग) के ब्यौरे प्राप्त करती है। आपको जो रकम देय होती है उसका भुगतान कंपनी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (ईसीएस) सुविधा के जरिये या ऐसे वारंट जारी करके किया जाता है जिन पर आपके बैंक खाते के ब्यौरे छपे होते हैं।

बोनस शेयर:

संबंधित कंपनी निक्षेपागार से हिताधिकारी धारकों (बेनिफिशियरी होल्डर) और उनकी धारिताओं (होल्डिंग) के ब्यौरे प्राप्त करती है। कंपनी आपकी हकदारी को सीधे आपके निक्षेपागार खाते में जमा कर देती है।

निवेशक निक्षेपागार को कितना भुगतान करता है?

निपेक्षागार, निक्षेपागार सहभागी के माध्यम से, निवेशकों से संपर्क करता है। यह निवेशकों से सीधे कोई शुल्क नहीं लेता परंतु निक्षेपागार सहभागियों से लेता है। यह निक्षेपागार सहभागियों

पर निर्भर करता है कि वे निवेशकों कितना शुल्क लें। तथापि, आपको निक्षेपागार सहभागी द्वारा दी गयी सेवाओं के स्तर के मुताबिक लगाये गये शुल्क पर ध्यान देना चाहिए।

शिकायतें:

आपको निक्षेपागार के कामकाज से संबंधित किसी भी शिकायत के लिए अपने निक्षेपागार सहभागी से संपर्क करना चाहिए। यदि आपका निक्षेपागार सहभागी आपकी शिकायत को दूर करने में असमर्थ रहता है तो आप अपने निक्षेपागार को लिख सकते हैं। यदि निक्षेपागार / निक्षेपागार सहभागी आपकी शिकायत का उचित समाधान नहीं करते तो आप सेबी को लिख सकते हैं।

पारस्परिक निधियाँ

आपमें से कुछ लोग सामूहिक निवेश (कलेक्टिव इन्वेस्टमेण्ट) रूपी वाहन पर सवार होकर निवेश करना पसंद करते हैं, जो आपके सीमित साधनों को बटोरते हैं, प्रतिभूतियों (सिक््योरिटीज) में इनका निवेश करते हैं और सिद्धांतों के आधार पर मुनाफा आपमें बाँटते हैं। इस प्रकार आपको जोखिम भी कम होता है और नियुक्त निधि प्रबंधकों (फंड मैनेजर) की व्यावसायिक विशेषज्ञता की वजह से आपको ज्यादा मुनाफा भी होता है। यह पारस्परिक निधियों (म्युच्युअल फंड) की अपील है जो आपको स्टॉक बाजार में ऐसे अवसर उपलब्ध कराती है जो कि “दलाल-बुलाने-और-प्रतिभूतियों-को-खरीदने/बेचने” से कहीं ज्यादा आसान और सुरक्षित होते हैं। भारत में ऐसी कई निधियाँ हैं जो हर तरह के निवेशक की अपेक्षाओं के अनुरूप अलग-अलग तरह की स्कीमों का प्रस्ताव करती हैं।

प्रतिभूति बाजार में काफी उतार-चढ़ाव होते रहते हैं। पैसा गँवाने का जोखिम तो बहुत ज्यादा होता है। प्रतिभूति बाजार में से ऐसी प्रतिभूतियों, जिनसे कि ज्यादा मुनाफे की गुंजाइश हो, का चयन करने के लिए बाजार पर बड़ी बारीकी से नज़र रखनी होती है और ऐसा कर पाना सभी निवेशकों के लिए संभव नहीं होता। अलग-अलग जगह निवेश करना - प्रतिभूति बाजारों में सफल निवेश की कुंजी है और जिसके लिए काफी पूँजी चाहिए।

पारस्परिक निधि निवेशकों और प्रतिभूति बाजार के बीच पेशेवर मध्यवर्ती(इंटरमीडियरी) का काम करती है। पारस्परिक निधि सीधे निवेश से जुड़ी खामियों को काफी हद तक कम करती है। पारस्परिक निधि में निवेश करने के विशेष लाभ हैं:

पेशेवर प्रबंधन: पारस्परिक निधि में निवेश-प्रबंध कौशल और अनुसंधान (रिसर्च) कौशल होता है, क्योंकि इसके वरिष्ठ प्रबंधकवर्ग में पेशेवर व्यक्ति शामिल होते हैं।

अलग-अलग जगह निवेश: पारस्परिक निधि में निवेश करनेवाले निवेशक का निवेश एक ही जगह नहीं होता और यह बात भी कोई मायने नहीं रखती कि उसका निवेश कितना है। इस प्रकार

नुकसान का जोखिम बहुत सारे निवेशकों में बँट जाता है और किसी एक निवेशक को पूरा नुकसान नहीं उठाना पड़ता। एक लिखत (इंस्ट्रूमेण्ट) से जुड़ा जोखिम भी विभिन्न लिखतों में बँट जाता है।

कम लागत: पारस्परिक निधि मितव्ययिता का सिद्धांत अपनाती है; अत्यधिक मात्राओं में निवेश करने की वजह से निधि (फंड) कम लागत अदा करती है और फिर यही फायदा निवेशकों को मिल जाता है।

अर्थसुलभता: पारस्परिक निधि की यूनिटें निधि को वापस बेची जा सकती हैं (असीमित अवधि), या इन्हें बाजार में बेचा जा सकता है (सीमित अवधि) या इन्हें निर्धारित अवधि की समाप्ति पर छुड़ाया जा सकता है।

पारदर्शिता: भारतीय पारस्परिक निधि संघ (एएमएफआइ) के वेबसाइट पर और अन्य वेबसाइटों पर भी प्रति दिन स्कीमों के शुद्ध आस्ति मूल्य (एनएवी) को प्रदर्शित किया जाता है।

स्कीमों का विकल्प: पारस्परिक निधियाँ कई प्रकार स्कीमों का प्रस्ताव करती हैं जो भिन्न-भिन्न प्रकार के निवेशकों के लिए उपयुक्त हो सकती हैं।

विनियमन: पारस्परिक निधियों का विनियमन सेबी द्वारा किया जाता है।

अपने निवेश उद्देश्यों को जानें:

सबसे पहले आप अपने निवेश उद्देश्यों को जानें, यानी कि आप क्या चाहते हैं - अर्थसुलभता या थोड़े समय के लिए होनेवाले मुनाफे या दीर्घावधि पूँजीगत अधिमूल्यन (कैपिटल एप्रिशीएशन)। उसके बाद आप अपने निवेश उद्देश्य के अनुरूप उपलब्ध किन्हीं स्कीमों का चयन करें। स्कीम का चयन करने के बाद आप ऐसी स्कीम के पिछले रिकार्ड और इनसे हुए मुनाफों की तुलना भिन्न-भिन्न पारस्परिक निधियों से अवश्य करें। इसके लिए आप प्रस्ताव दस्तावेज (ऑफर डोक्युमेण्ट) का बारीकी से अध्ययन करें और उसमें खासकर पिछले कार्यनिष्पादन रिकार्ड, प्रायोजकों, निवेश उद्देश्य, आस्ति आबंटन स्वरूप (एसेट अलॉटमेण्ट पैटर्न) पर ध्यान दें।

पारस्परिक निधि स्कीम का चयन:

आपको निवेश उद्देश्यों और नीतियों के अलावा स्कीम की बतायी गयी खास बातों, स्कीम से जुड़े जोखिम, फीस, व्यय और प्रभार (लोड) तथा पिछले कार्यनिष्पादन के ब्यौरों पर गौर करके और अन्य स्कीमों से इसकी तुलना करके ही स्कीम का चयन करना चाहिए।

पारस्परिक निधि यूनिटें खरीदना:

असीमित अवधिवाली स्कीमों के मामले में, आप सीधे निधि से ही यूनिटें खरीद सकते हैं। आप निधि के कार्यालय से सीधे या वितरक/दलाल/उपदलाल या एजेंटों के जरिये संपर्क कर सकते हैं। सीमित अवधिवाली स्कीमों के मामले में आप ऐसे स्टॉक एक्सचेंजों से, जहाँ यूनिटें सूचीबद्ध होती हैं, या पुनर्खरीद की सुविधा देनेवाली पारस्परिक निधियों से यूनिटें खरीद सकते हैं।

पारस्परिक निधियाँ आम तौर पर समाचारपत्रों में विज्ञापन प्रकाशित करती हैं जिनमें नयी स्कीमों के शुरू होने की तारीख प्रकाशित की जाती है। आप आवश्यक जानकारी और आवेदनपत्रों के लिए देश भर में फैले पारस्परिक निधियों के एजेंटों और वितरकों (डिस्ट्रीब्यूटर) से भी संपर्क कर सकते हैं। पारस्परिक निधियों के पास आवेदनपत्र ऐसी सेवाएँ प्रदान करनेवाले एजेंटों और वितरकों के जरिये जमा किये जा सकते हैं। आजकल, डाकघर और बैंक भी पारस्परिक निधियों की यूनिटें वितरित करते हैं। हालाँकि आप इस बात पर ध्यान दें कि पारस्परिक निधियों की जिन स्कीमों का विपणन बैंकों और डाकघरों द्वारा किया जाता है वे स्कीमें उनकी अपनी स्कीमें नहीं होती। बैंकों और डाकघरों की भूमिका सिर्फ यहीं तक ही है कि वे पारस्परिक निधि की स्कीमों का वितरण निवेशकों को करें।

अर्थसुलभता:

पारस्परिक निधियों की स्कीमें बहुत अधिक अर्थसुलभ होती हैं। असीमित अवधिवाली स्कीमों के मामले में, आप किसी कार्यदिवस को, उस दिन के शुद्ध आस्ति मूल्य (एनएवी) पर, पारस्परिक निधि से ही यूनिटें छुड़ा सकते हैं। सीमित अवधिवाली स्कीमों के मामले में आप ऐसे मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में यूनिटों का व्यापार कर सकते हैं, जहाँ निधि की यूनिटें सूचीबद्ध हों।

क्षेत्र विशेषवाली निधियाँ (सैक्टर फंड):

ये ऐसी निधियाँ/स्कीमें हैं जो केवल उन्हीं क्षेत्रों (सैक्टर) या उद्योगों की प्रतिभूतियों में निवेश करती हैं जिनका उल्लेख प्रस्ताव दस्तावेज में होता है जैसे फॉर्मास्युटिकल, सॉफ्टवेयर, फास्ट मूविंग कंप्यूटर गुड्स (एफएमसीजी), पेट्रोलियम स्टॉक इत्यादि। किसी खास क्षेत्र की निधियों का स्वरूप आम तौर पर चक्रवार होता है और ऐसी निधियों द्वारा उठाये जानेवाले जोखिम भी क्षेत्र विशेष से ही जुड़े होते हैं। इन निधियों के मुनाफे संबंधित क्षेत्रों/ उद्योगों के कार्यनिष्पादन पर निर्भर होते हैं।

कर बचत स्कीमें:

ये स्कीमें आयकर अधिनियम, 1961 के विशिष्ट उपबंधों के तहत निवेशकों को कर छूट का प्रस्ताव करती हैं क्योंकि सरकार इक्विटी संबद्ध बचत स्कीमों (ईएलएसएस) जैसी निर्धारित स्कीमों में निवेश करने हेतु कर-प्रोत्साहन का प्रस्ताव करती है। पारस्परिक निधियों द्वारा लायी गयी पेंशन स्कीमों में भी कर फायदों का प्रस्ताव किया जाता है। ये स्कीमें संवृद्धि-उन्मुख (ग्रोथ ओरिएंटेड) स्कीमें होती हैं और ये स्कीमें मुख्यतया इक्विटियों में निवेश करती हैं। उनके संवृद्धि के अवसर और जोखिम वैसे ही होते हैं जैसे इक्विटी-उन्मुख स्कीम के।

आश्वस्त प्रतिफल (मुनाफा) स्कीमें:

आश्वस्त प्रतिफल स्कीमें वे स्कीमें होती हैं जिनके अंतर्गत यूनिटधारकों को किसी निर्धारित मुनाफे का आश्वासन दिया जाता है, फिर भले ही स्कीम का कार्यनिष्पादन कैसा भी हो। कोई भी स्कीम तब तक मुनाफे का आश्वासन नहीं दे सकती जब तक कि प्रायोजक (स्पांसर) या आस्ति प्रबंध कंपनी (एएमसी) ऐसे मुनाफों की पूरी तरह गारंटी न दे दें और इसे प्रस्ताव दस्तावेज (ऑफर डाक्युमेण्ट) में प्रकट करना जरूरी है। आपको प्रस्ताव दस्तावेज ध्यान से पढ़ना चाहिए कि मुनाफे का आश्वासन स्कीम की पूरी अवधि के लिए है या फिर केवल किसी निश्चित अवधि के लिए। कुछ स्कीमें साल में एक बार मुनाफे का आश्वासन देती हैं और फिर अगले साल की शुरुआत में इसकी समीक्षा करती हैं और इसमें परिवर्तन करती हैं।

पारस्परिक निधि स्कीम के कार्यनिष्पादन को जानें:

स्कीम का कार्यनिष्पादन इसके शुद्ध आस्ति मूल्य (एनएवी) में झलकता है जिसे असीमित अवधिवाली स्कीमों के मामले में दैनिक आधार पर और सीमित अवधिवाली स्कीमों के मामले में साप्ताहिक आधार पर प्रकट किया जाता है। पारस्परिक निधियों के एनएवी को समाचारपत्रों में प्रकाशित किया जाना जरूरी है। पारस्परिक निधियों के वेबसाइट पर भी एनएवी प्रदर्शित होता है। समस्त पारस्परिक निधियों से यह भी अपेक्षित है कि वे एएमएफआइ के वेबसाइट www.amfiindia.com पर अपने-अपने एनएवी प्रदर्शित करें और इसप्रकार आप एक ही स्थान पर समस्त पारस्परिक निधियों के एनएवी को देख सकते हैं और उनके कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन कर सकते हैं।

पारस्परिक निधियों से यह भी अपेक्षित है कि वे छमाही परिणामों के रूप में अपने कार्यनिष्पादन को प्रकाशित करें जिनमें काफी समय से हो रहे, यानि की पिछले छह महीनों, 1 साल, 3 सालों, 5 सालों और स्कीमों की शुरुआत से हो रहे, मुनाफे/प्रतिलाभ भी शामिल होंगे। आप इसी छमाही फार्मेट में अन्य ब्यौरों, जैसे कुल आस्तियों के व्यय का प्रतिशत, और अन्य उपयोगी जानकारी पर भी ध्यान दे सकते हैं क्योंकि इनका प्रभाव मुनाफे पर पड़ता है।

वित्त संबंधी समाचारपत्रों में पारस्परिक निधि की स्कीमों के संबंध में कई अध्ययन-लेख साप्ताहिक आधार पर प्रकाशन किये जाते हैं, जिसमें भिन्न-भिन्न स्कीमों के मुनाफों का भी जिक्र होता है। इसके अलावा, कई अनुसंधान (रिसर्च) एजेंसियाँ भी पारस्परिक निधियों के कार्यनिष्पादन के संबंध में अनुसंधान रिपोर्टें प्रकाशित करती हैं जिनके अंतर्गत भिन्न-भिन्न स्कीमों के कार्यनिष्पादन के अनुसार उनका क्रमनिर्धारण किया जाता है। आपको इन रिपोर्टों का अध्ययन करना चाहिए और आपको भिन्न-भिन्न पारस्परिक निधियों की विभिन्न स्कीमों के कार्यनिष्पादन की जानकारी होनी चाहिए।

आप भिन्न-भिन्न स्कीमों के कार्यनिष्पादन की तुलना उसी श्रेणी की अन्य पारस्परिक निधियों की स्कीमों के कार्यनिष्पादन से कर सकते हैं। आप इक्विटी-उन्मुख स्कीमों के कार्यनिष्पादन की तुलना, बीएसई के संवेदनशील सूचकांक (सेन्सिटिव इंडेक्स), एसएण्डपी सीएनएक्स निफ्टी इत्यादि जैसे बेंचमार्कों से भी कर सकते हैं।

पारस्परिक निधियों के कार्यनिष्पादन के आधार पर, आपको यह तय करना चाहिए कि आप कब पारस्परिक निधि स्कीम में प्रवेश करें या कब इससे बाहर निकलें।

उपलब्ध कई स्कीमों में से किसी एक स्कीम का चयन कैसे करें?

आपके लिए यह जरूरी है कि आप पारस्परिक निधियों के प्रस्ताव दस्तावेज (ऑफर डॉक्युमेण्ट) को ध्यान से पढ़ें। आप स्कीम के या उसी पारस्परिक निधि की अन्य स्कीमों के कार्यनिष्पादन के पिछले रिकार्ड पर भी ध्यान दे सकते हैं। आप कार्यनिष्पादन की तुलना वैसे ही निवेश-उद्देश्योंवाली अन्य स्कीमों से भी कर सकते हैं। हालाँकि किसी स्कीम का पिछला कार्यनिष्पादन उसके भावी कार्यनिष्पादन का सूचक नहीं होता और पिछला अच्छा कार्यनिष्पादन भविष्य में बना रह भी सकता है और नहीं भी, फिर भी निवेश के सिलसिले में फैसला लेने के लिए यह एक अहम पहलू है। ऋण-उन्मुख (डेट ओरिएण्टेड) स्कीमों के मामले में, आपको पिछले मुनाफों पर ध्यान देने के अलावा, ऋण लिखतों (डेट इंस्ट्रुमेण्ट) की गुणवत्ता पर भी ध्यान देना चाहिए, जो कि उनकी रेटिंग में झलकती है। ऐसी स्कीम ज्यादा सुरक्षित हो सकती है, जिसमें मुनाफा कम होता हो लेकिन निवेश बेहतरीन रेटिंगवाली लिखतों में होता हो। ठीक इसी प्रकार इक्विटी स्कीमों में भी आपको निवेश-संविभाग (पोर्टफोलियो) की गुणवत्ता पर ध्यान देना चाहिए। आप विशेषज्ञों की सलाह भी ले सकते हैं।

पारस्परिक निधियों के बारे में जानकारी:

लगभग समस्त पारस्परिक निधियों के अपने वेबसाइट हैं। आप एएमएफआइ के वेबसाइट www.amfiindia.com पर भी समस्त पारस्परिक निधियों के एनएवी, छमाही परिणाम और संविभागों (पोर्टफोलियो) के बारे में जानकारी सकते हैं। आप सेबी के वेबसाइट www.sebi.gov.in पर लॉगऑन कर सकते हैं और "म्युच्युअल फंड" शीर्ष के तहत सेबी के विनियमों (रेगुलेशन) और मार्गदर्शक सिद्धांतों (गाइडलाइन्स), पारस्परिक निधियों संबंधी आँकड़े, पारस्परिक निधियों द्वारा दाखिल प्रस्ताव दस्तावेजों (ऑफर डॉक्युमेण्ट) के मसौदे, पारस्परिक निधियों के पते इत्यादि की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

शिकायत समाधान:

आपको पारस्परिक निधि स्कीम के प्रस्ताव दस्तावेज में संपर्क व्यक्ति का नाम मिलेगा, जिससे आप किसी मसले या शिकायत के सिलसिले में संपर्क कर सकते हैं। पारस्परिक निधि के न्यासी

(ट्रस्टी) पारस्परिक निधि की गतिविधियों पर नज़र रखते हैं। प्रस्ताव दस्तावेजों में आस्ति प्रबंध कंपनी (एएमसी) के निदेशकों और न्यासियों के नाम भी दिये जाते हैं। निवेशक अपनी शिकायतों के समाधान के लिए सेबी से भी संपर्क कर सकते हैं। सेबी शिकायतें प्राप्त होने पर इन्हें संबंधित पारस्परिक निधि के पास उठाता है और तब तक इसके साथ लगातार संपर्क बनाये रखता है जब तक कि मामला सुलझ नहीं जाता।

सामूहिक निवेश स्कीमें (कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम)

सामूहिक निवेश स्कीम (सीआइएस) का अर्थ है एक ऐसा इंतजाम जिसके तहत निवेशक अंशदान करते हैं, जिन्हें केवल उसी इंतजाम के लिए ही इकट्ठा किया जाता है और इनका उपयोग फायदा/आमदनी कमाने के लिए ही किया जाता है। सामूहिक निवेश स्कीम की समस्त कंपनियों से यह अपेक्षित है कि वे सेबी के पास रजिस्ट्रीकृत हों।

आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सामूहिक निवेश प्रबंध कंपनी सेबी के पास रजिस्ट्रीकृत है और स्कीमों के जरिये जनता से पैसा जुटाने के लिए पात्र है। यह लाजिमी है कि ऐसी स्कीमों का साख निर्धारण (क्रेडिट रेटिंग) कराया जाए और इनका मूल्यांकन किसी मूल्यांकक एजेंसी द्वारा कराया जाए। यह भी जरूरी है कि न्यासी द्वारा इन स्कीमों को अनुमोदित किया जाए और इनमें विनियमों के अनुसार प्रकटीकरण भी किये जाते हैं और इन्हें विधिवत् रूप से सेबी के पास दाखिल भी किया जाता है।

अध्याय 5. निवेशक शिकायत समाधान

आपके तथा विनियामकों द्वारा किये गये समस्त एहतियाती उपायों के बावजूद, आपको कुछ शिकायतें हो सकती हैं। विनियामक, स्व विनियामक संगठनों और संस्थाओं (जिनका पर्यवेक्षण विनियामकों द्वारा किया जाता है) के पास आपकी शिकायतों के समाधान की कुछ व्यवस्था है।

निम्नलिखित सारणी में शिकायतों का प्रकार तथा उस प्राधिकरण की जानकारी दी गयी है जिससे आपको संपर्क करना चाहिए। इसके अलावा, आप सेबी और न्यायालय के समक्ष शिकायत प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र हैं।

निम्नलिखित से संबंधित शिकायत	किससे संपर्क करें
निर्गम /कंपनी	निर्गमकर्ता (इश्युअर) कंपनी का अनुपालना अधिकारी / अग्रणी प्रबंधक (लीड मैनेजर) / स्टॉक एक्सचेंज
व्यापार/दलाल/उप-दलाल	संबंधित एक्सचेंज का निवेशक शिकायत कक्ष
पारस्परिक निधि	पारस्परिक निधि का अनुपालना कार्यालय
निक्षेपागार (डिपॉजिटरी) सेवाएँ	संबंधित निक्षेपागार का निवेशक संपर्क कक्ष
कंपनी कार्रवाई	संबंधित कंपनी/ संबंधित एक्सचेंज
मध्यवर्ती	मध्यवर्ती का अनुपालना अधिकारी / संबद्ध उद्योग संघ/ स्व विनियामक संगठन